

उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-76/2023/2634/26-3-2023-C.N.-1574316

लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-108/2021/2499/26-3-2021-4(358)/07टी.सी.-111 दिनांक 21.09.2021 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (दशम संशोधन)-2021 जारी की गयी थी। प्रस्तावित नियमावली में अन्य कतिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2382/स0क0/शिक्षा-अ/3/154-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (एकादश संशोधन)-2023 निर्गत की जाती है:-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023

- | क्र० | शीर्षक | नियम |
|--------|------------------------------|--|
| 1- | नाम | यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023 कहलायेगी। |
| 2- | उद्देश्य | मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है। |
| 3- | प्रसार/ विस्तार | इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राये आन्वयित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों। |
| 4- | प्रारम्भ होने की तिथि | इस नियमावली के प्राविधान 2023-24 शिक्षण सत्र से लागू होंगे। |
| 5- | परिभाषा | |
| (i) | केन्द्र सरकार | 'केन्द्र सरकार' का तात्पर्य भारत सरकार से है। |
| (ii) | राज्य सरकार | 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। |
| (iii) | अभ्यर्थी | 'अभ्यर्थी' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। |
| (iv) | निदेशालय | 'निदेशालय' का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है। |
| (v) | निदेशक | 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से है। |
| (vi) | वित्त नियन्त्रक | 'वित्त नियन्त्रक' का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है। |
| (vii) | नोडल अधिकारी | 'नोडल अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है। |
| (viii) | राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार | 'राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार' का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है। |
| (ix) | शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम | 'शिक्षण संस्था' का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व 'पाठ्यक्रम' का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है। |
| (x) | अनुसूचित जाति | 'अनुसूचित जाति' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है। |

सत्यमेव जयते

(xi) **अनुसूचित जनजाति**

"अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

(xii) **शैक्षणिक सत्र**

"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।

(xiii) **छात्रवृत्ति का मूल्य**

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होगी:-

(क) शैक्षणिक भत्ता

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाला शुल्क जिसका निर्धारण केन्द्र/राज्य सरकार अथवा प्रदेश की शुल्क नियमन समिति द्वारा तय किया गया हो

(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक भत्ते का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता।

(xiv) **शुल्क**

(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

नोट-1- राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/ छात्रायें इस योजना में अपात्र होंगे।

नोट-2- किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पॉट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय कोटा (मैनेजमेन्ट कोटा) के साथ-साथ जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्र/छात्रायें मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे, ऐसे छात्रों को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि, छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा में लाक की गयी शुल्क, शिक्षण संस्था द्वारा लाक की गयी शुल्क तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक की गयी शुल्क में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं, के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति जो कम हो, की जायेगी।

(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6- **अर्हता**

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:-

- (i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:-

(अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/ विवरण, वृत्तिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/ छात्रा को दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

- (ii) यह छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी।

क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम।


ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।

ग- ट्रेनिंगशीप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।

घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।

छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमन्य रहेगी)



- ज. निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाड़ी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात् ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।
- झ. अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/सक्षम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान, जिनकी नियंत्रक बाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र/छात्राये छात्रवृत्ति हेतु अनर्ह होंगे।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।
- (iv) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात रिसर्च लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोत्रत होना अनिवार्य होगा।
- (v) यदि विद्यार्थी इन्टरशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टरशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (vi) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।
- (vii) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेंड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (viii) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।
- (ix) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (x) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।
- (xi) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/ राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।
- (xii) जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित है, तब तक माता-पिता/पति ऐसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्त वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्त पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।
- (xiii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अथुरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। यदि छात्र किसी अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यानित होकर रैकिंग के आधार पर नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अथुरा छोड़कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो जिता समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में नवीन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
- (xiv) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेजियल रिक्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेजियल रिक्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उतरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्ययभार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित विश्वविद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमेट्रिक अटैण्डेंस प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से आधार बेस बायोमेट्रिक अटैण्डेंस प्रणाली को लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं

सुप्रभा

शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि धनराशि भुगतान हुयी है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था द्वारा वापस करनी होगी।

- (xv) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/ पाठ्यक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

किसी छात्र का एरियर अगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।

- (xvi) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएँ/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।

- (xvii)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

- (xviii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

- (xix) आईटीआई/आईओ पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

- (xx) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष आयु की सीमा तक शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी। रिसर्व एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं होंगे।

7- मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य-

प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

8- माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य-

माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:-

- (i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
- (iii) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (iv) जन्म किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

9- मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर-

- (i) (क) प्रदेश के समस्त शासकीय शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष जारी समय-सारिणी में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना

होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रभारी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

(ख) मास्टर डाटा में नवीन व पुराने शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये आनलाइन डाटा को विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 सितम्बर के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नाम-रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(v) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/ जगह के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक, एफिलियेटिंग एजेंसियों के नोडल अधिकारियों एवं संबन्धित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कॉपी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।

10- अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें -

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तदनुसार लागू रहेगा।

(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भत्ता की दरों का 1/3 शैक्षणिक भत्ता/व्यय दिया जायेगा।

11- शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम -

(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार के उपलब्ध बजट से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आधार सीटेंड व एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान APBS (Aadhaar Payment Bridge System) प्रणाली के माध्यम से सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (SNA) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश छात्रों को आधार सीटेंड/ एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में भुगतानोपरान्त शेष 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान उन्हीं छात्रों के आधार सीटेंड/एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा।

(ii) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नलिखित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी के आधार सीटेंड व NPCI (National Payment Corporation Of India) से मैपड बैंक खाते में सीधे अन्तर्गत करके दो बार में (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा) भुगतान की जायेगी :-

(क)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राएँ।



- (ख)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राएँ।
 (ग)- निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
 नोट- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र- छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी- 'क' से 'ग' तक जारी रहेगा।
- (iii) उपरोक्त वरीयताक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वरीयताक्रम में पात्रता रखने वाले छात्रों को निम्नानुसार वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगे:-
 (च)- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्रों को।
 (छ)- माता-पिता दोनों के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।
 (ज)- माता-पिता दोनों में से किसी एक के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।
 (झ)- SECC-2011 के अनुसार उक्त 02 वंचितकरण (Deprivations) होने पर वरीयता।

क्र०	प्राथमिकता हेतु निर्धारित बिन्दु	वेटेज अंक
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्र।	10
2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अशिक्षित हों।	08
3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता में से कोई एक अशिक्षित हों।	06
4	SECC-2011 (Socio- Economic & Caste Census) के सार्व में उक्त 02 वंचितकरण (Deprivations) होने पर।	04

- (iv) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार वरीयता के क्रम में वितरित की जायेगी।
 (क) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्तर-11 (ii) में वर्णित वरीयता श्रेणी के क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (iii) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये क्रम में वितरण किया जायेगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आवरण अच्छा रहा हो एवं वह किंगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो।
 (ख) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वप्रथम अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।
 (ग) इसके पश्चात भी यदि कोई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होले हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।
 (घ) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/ छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।
 नोट-(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, संयुक्त वेटेज अंक, आयु, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।
 नोट-(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखाध्य उपलब्ध करायी जायेगी।
 नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूचित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

12- प्रक्रिया एवं अभिलेखों का रखरखाव-

- (i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।
 (क)- राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-के०वाई०सी०) एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइल सम्मिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अप्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर प्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अप्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी।
 (ख) प्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिसायंस पेंडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/ संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने

2/16/2024

पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त नि:शुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरान्त विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडी/ एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ) संस्थान में छात्र को नि:शुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(ii) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

- 1- संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अध्यक्ष
- 2- संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य
- 3- संस्था के वरिष्ठतम अनु0जाति के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(v) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये विवरण की तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।

1- शिक्षण संस्थान स्तर पर:-

(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संबन्धित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब) छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2- जनपद स्तर पर:-

क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में।

3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये गये शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सुचित बेंनीफिशरी एवं ट्यूबेशन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में बेंनीफिशरी एवं ट्यूबेशन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी गोजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशातय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

5- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित बैंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

6- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी गोजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।



- (vi) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12) द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट/डिजीलाकर आदि के माध्यम से छात्रों के आवेदन में उल्लिखित आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देशास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दरमोत्तर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है-
- | | |
|---|----------------|
| 1-जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2-मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 3-मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/अथवा नामित प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 4-जिला विद्यालय निरीक्षक | - सदस्य |
| 5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | - तकनीकी सदस्य |
| 6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी | - सदस्य |
| 7-जिला समाज कल्याण अधिकारी | - सदस्य सचिव |

पह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेंगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

- (viii) (1) एन0आई0सी0 से छात्रों के प्राप्त शुद्ध एवं संदेशास्पद डाटा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का स्थलीय/अभिलेखीय सत्यापन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का परीक्षण कर किया जायेगा। अपत्र छात्रों के डाटा को बाहर किया जायेगा। सही व पात्र छात्रों के डाटा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय कराकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रत्येक छात्र का डाटा निर्धारित समयावधि में लाक किया जायेगा। गलत/अपत्र छात्र के डाटा स्वीकृत करने पर अथवा सही/पात्र छात्र के डाटा को अस्वीकृत करने पर अथवा पेंडिंग डाटा को छोड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- (2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/लाक डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से मांग जनरेट करायी जायेगी तथा पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेंड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से सिंगल नोडल एकाउन्ट (Single Nodal Account) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा। जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
- (3) जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

(ix) **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु-**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्कूटनी) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर की जायेगी।

- (x) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को एन0आई0सी0 द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति की कुल मांग का 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की पेमेन्ट फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त पेमेन्ट फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर पेमेन्ट फाइल का सत्यापन कराया जायेगा, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात विभाग के योजनाधिकारी, वित्त नियन्त्रक तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त ट्रांजेक्शन फाइल की धनराशि को कोषागार से SNA में हस्तांतरित की जायेगी। धनराशि हस्तांतरित होने के पश्चात योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति द्वारा पेमेन्ट फाइल अपलोड करने के पश्चात वित्त नियन्त्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से समस्त कार्यवाही की जायेगी। छात्रवृत्ति की अवशेष केन्द्रांश की 60 प्रतिशत धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही भारत सरकार के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
- (xi) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से ट्रांजेक्शन फाइल को पीएफएमएस सर्वर पर ट्रांसफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (xii) बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तसम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।

रूपद्रोह

13- भुगतान व्यवस्था

- (i) संस्था में अध्यापनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक /सम्परीक्षाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
- (iii) कौषागर से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेट बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खोले गये SNA खाते में स्वतः वापस प्राप्त धनराशि जमा होगी। ट्रान्जेक्शन फेल्ड/ अवितरित बैंक को वापस प्राप्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरांत पुनः उन्हीं छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अंतरण की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ट्रान्जेक्शन फेल्ड होने पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/ बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से वितम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण विश्वविद्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
- (iv) शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली मार्च, 2021 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

- (i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/ छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक चलता चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोत्रत होकर उच्चतर कक्षा में पहुँचता रहे।
- (ii) किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोत्रत नहीं हो जाता है।
- (iii) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोत्रत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोत्रत किया गया है।
- (iv) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया फंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

15- छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें-

- (i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे-हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बौर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्यीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) अनियमिततायें पाये जाने पर कार्यवाही-

- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/ प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों तथा विभागीय/अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अन्य सलियत व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से भू-राजस्व की भांति जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी:-

- 1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्यापनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्यापनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भत्ता/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अप्रसारित करने पर।
- 4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।
- 6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।

- 7- शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक भत्ता/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।
- 8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शाकर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तर्गत कराने अथवा अन्तर्गत कराने का प्रयास करने पर।
- 9- जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर।
- 10- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।
- (iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

16(1)- छात्र-छात्राओं के दायित्व -

- (i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा ताक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा त्रुटि किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना-
छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रामाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त समय-सारिणी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-
1-संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जाने" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
- (iv) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-
छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS व ई0-मेल पर छात्रों को विवरण भेजने हेतु विभिन्न सारों का चयन निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
- (v) छात्र/छात्राओं द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना-
प्रत्येक छात्र/छात्रा को हार्डस्कूल प्रमाण-पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पत्नी की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई-के0आई0सी0 के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, बैंक विवरण आटोफेच होकर प्रदर्शित होगा।

16(2)- शिक्षण संस्थान के दायित्व -

- (i) शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा। एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक संस्था में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करने वाले कार्मिक का लॉग तिथि एवं समय के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।
- (ii) शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आई0टी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना तथा डिजिटल सिग्नेचर सत्यापित कराना होगा।
- (iii) शिक्षण संस्था में डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई-के0आई0सी0 छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करनी होगी।
- (iv) आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रहेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, बितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।
- (v) जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अद्येसित नहीं किया जायेगा, संस्था उसको अपने स्तर से reject कर देगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
- (vi) सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल


- आदि के माध्यम से अवगत कराएंगे।
- (vii) छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (viii) संस्था के अभिलेखों से अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान आनलाइन आवेदन पत्र से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनकी संस्तुति न करके संस्थान स्तर से रिजेक्ट किया जाएगा।
- (ix) शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त संलग्नकों सहित सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
- (x) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई तखनऊ द्वारा छात्रों के हार्डस्कूल के अनुक्रमों के आधार पर संस्था के स्तर पर सत्यापन/अप्रसारण के समय प्रत्येक छात्र के सम्मुख गत वर्षों में छात्र को जिस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है, उस कोर्स को प्रदर्शित किया जाएगा। शिक्षण संस्था द्वारा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन अप्रसारित किया जाएगा।
- (xi) शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्ययनरत छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरे एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म सत्यापित एवं अप्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (xii) शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन अंकित किया जायेगा यथा छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि।
- (xiii) संस्था द्वारा छात्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों/उत्तीर्ण/प्रोत्रत होने का अनिवार्य रूप से अंकन/सत्यापन करने के उपरान्त आवेदन पत्र आनलाइन अप्रसारित किया जायेगा। भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड भी करना होगा।

16(3)- जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व-

- (i) शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये मास्टर डाटा से सम्बन्धित अधिलेख छात्रों की सूची छात्रों के आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फाइल की साफ्ट कॉपी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
- (ii) अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/कराना।
- (iii) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (iv) सक्षम एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर छात्र/छात्राओं के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन सत्यापित एवं ताक करना। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण सुरक्षित रखना होगा।
- (v) आनलाइन डाटा की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अप्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगे, जिन जनपदों में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्थित है उनके छात्रवृत्ति नोटल अधिकारियों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।
- (vi) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उच्चदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।
- (vii) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को ताक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

16(4)- सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व-

- (i) आनलाइन डाटा अप्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।
- (ii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोटल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटली सिग्नेचर से ताक किया जाना।
- (iii) जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोटल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटा सत्यापन/ताक (जैसा लागू हो) के उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- (iv) शिक्षण संस्था द्वारा मिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अंकित किये गये कारणों के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की रेण्डम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।



16(5)- शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व-

1. मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की नियंत्रक बोर्डों प्रदेश के अन्दर न होकर स्वयं स्वायत्तशासी संस्थान है, उनमें अपना मास्टर डाटा, फीस, सीट आदि स्वयं सत्यापित/लॉक करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित/लॉक किया जाएगा।
2. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डाटा शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संस्तुत प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

16(6)-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व-

- (i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।
- (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके तागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिए लागिन आईडी/पीएच एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।
- (iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा तागिन आईडी/पीएच एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
- (iv) एन०आई०सी० द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी को लागिन पासवर्ड प्राप्त कराना तथा डिजिटल सिग्नेचर रिसेट/सत्यापित करना।
- (v) आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के सापेक्ष प्रिंसिपल छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित करना।
- (vi) राज्य स्तर पर आय, जाति, आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व वर्ष, परीक्षाफल आदि के लाइव चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्कुटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- (vii) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।
- (viii) पी०एच०एम०एस० के माध्यम से आधार सीटेंड बैंक खातों का सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण कराना।

16(7)- विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी/ परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-

- (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोटल अधिकारी, सम्बन्धित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर मास्टर डाटा को सत्यापित करके लॉक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।
- (ii) सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत यथाशीघ्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाएगा।
- (iii) मास्टर डाटा में भरे गये शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्धित अभिलेख, छात्रों की सूची, समस्त संलग्नकों को पी०डी०एफ० फाइल की साफ्ट कॉपी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
- (iv) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/ परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक भी किया जाएगा।
- (v) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्रश्नों का मिलान स्कुटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जाएगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
- (vii) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, कोर्स का प्रकार (नियमित/ स्वयंचालित पोषित), स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा।
- (viii) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल सीट में स्कुटनी आदि के समय उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध कराएंगे।
- (ix) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/ मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाएगी।

17- जनपद स्तर पर अनुभवण-

- (i) छात्रवृत्ति योजना के अनुभवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

(1) जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
(4) जनपद में स्थित रा० विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो	-	सदस्य
(5) जनपद में स्थित रा० मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	-	सदस्य
(6) जनपद में स्थित रा० इंजी० कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	-	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पॉलीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो	-	सदस्य
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)	-	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य/सचिव
- (ii) उक्त समिति अनुभवण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का

स्वविवेक से सत्यापन करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कातेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) **उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी -**

- क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें।
- ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।
- ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।

- (iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा समस्त निजी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रैण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रैण्डम विधि से जनरेट करेगा तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेगा और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15 (a) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
- (v) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पत्रिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महल्लेस्वाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

18- **प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रक्रिया-**

अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:-

- (i) (1)- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं के लिये दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।
- (2)- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी फावती शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
- (3)- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4)- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) तखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यू0पी0टी0पू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिला कर टुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक-पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के तामिन पर उपलब्ध होगा।
- (5)- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रैण्डमली करायेगी।
- (6)- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।
- (7)- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) तखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के तामिन पर उपलब्ध हो जायेगी।
- (8)- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के तामिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- (9)- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा कोषागार/बैंक से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेट बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।
- (10)- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा

(Handwritten signature)

किया जायेगा।

(11)- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्रम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेंगी।

- (ii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (V) में वर्णित व्यवस्थानुसार उनके द्वारा 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

19- संशोधन का अधिकार-


इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

20- न्यायालय परिक्षेत्र-

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।

- 21- (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिट्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
(ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिट्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
(ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिट्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
- 22- प्रतिवर्ष 31 मार्च तक छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन का पोर्टल खोला जायेगा। 31 दिसम्बर तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को माह मार्च तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को अगले वित्तीय वर्ष के बजट से प्रतिवर्ष 30 जून तक धनराशि भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। छात्रवृत्ति की प्रक्रियान्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिजेक्ट किये गये छात्रों के आधार सौडेंड बैंक खाते के डाटा को 30 जून तक की अवधि में पुनः सम्मिलित किया जायेगा।


कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


डा० हरिओम
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्व0प्र0) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/व्याघ/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ विकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

आधार बेस्ड बायोमैट्रिक अटेण्डेंस लागू किये जाने हेतु दो चरणों का विवरण

प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थान।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा, यूनानी, तिब्बी बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी०एड० पाठ्यक्रम वाले संस्थान।
- समस्त निजी विश्वविद्यालय।

द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)

- राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस व सम्बद्ध संस्थान।
- परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सम्बद्ध संस्थान।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राजकीय आटोनॉमस विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान।
- समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय।
- शेष अन्य शिक्षण संस्थान।

राजेश्वर

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011
लखनऊ: दिनांक:- 14 अक्टूबर, 2019
कार्यालय-जाप

समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-85/2016/आर-1214/26-3-2016-रिट(23)/2011, दिनांक-24.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016" पर सम्यक्विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (अष्ठम संशोधन)-2019 निम्नवत् किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>5 (xv) (क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।</p>	<p>5 (xv) (क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।</p> <p>नोट:-1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस योजना में अपात्र होंगे।</p> <p>नोट:-2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पॉट (spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।</p> <p>नोट:-3 शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर बिना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।</p>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>5 (xv) (ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रू0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>5 (xv) (ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम शिक्षा विभाग/फीस नियमन समिति को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा समूह-1 में रू0- 50,000/-, समूह-2 में रू0 30,000/-, समूह-3 में रू0 20,000/- व समूह-4 में रू0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>
<p>(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क अथवा आनलाइन आवेदन में छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है अथवा रू0 50000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क अथवा रू0 50000/- जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति अधिनियम के तहत स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क (राज्य विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित न होने की दशा में निजी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित उसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रदेश में न्यूनतम शुल्क) अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क अथवा आनलाइन आवेदन में छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है अथवा समूह-1 में रू0-50,000/-, समूह-2 में रू0 30000/-, समूह-3 में रू0 20000/- व समूह-4 में रू0 10000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>
<p>(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा रू0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>(घ) प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सम्बन्धित शिक्षा विभाग उ0प्र0 सरकार अथवा राज्य सरकार की फीस नियमन समिति (यदि गठित है) स्तर से निर्धारित नहीं हैं ऐसे सम्बद्ध/सहयुक्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम में प्रदेश में न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक शुल्क अथवा समूह-1 में रू0-50,000/-, समूह-2 में रू0 30,000/-, समूह-3 में रू0 20,000/- व समूह-4 में रू0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>
<p>(च) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी</p>	<p>(च) विलोपित</p>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>स्तर से अनुमोदित वार्षिक अतिवाय नान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा ₹0-50,000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	
<p>(ख) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा- तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/ सचिव/ महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है यदि किसी वर्ष विशेष में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस अथवा ₹0 50000/- जो कम हो का भुगतान किया जायेगा।</p>	<p>(घ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा- तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/ सचिव/ महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है, किसी वर्ष विशेष में एकिलिएटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय स्तर से फीस सत्यापित करने की अंतिम तिथि तक यदि फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30000/-, समूह-3 में ₹0 20000/- व समूह-4 में ₹0 10000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>
<p>6.(i) (अ) प्राइवेट संस्थानों में परिशिष्ट "अ" में अंकित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा-12 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बैचमार्क कक्षा-12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान वर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।</p> <p>6.(i) (ब) डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/ छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विवरण ऑनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।</p>	<p>निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले तथा ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा-12 अर्थात् इण्टरमीडिएट है, के अन्तर्गत कक्षा-12 अर्थात् इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोटा एवं स्पष्ट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।</p> <p style="text-align: center;">विलोपित</p>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>6.(v) ऐसे छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिये अध्ययन करने लगे, जैसे बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगे।</p>	<p>6.(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।</p>
	<p>6.(xviii) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया जाता है तो भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।</p> <p>किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।</p>
	<p>6.(xix) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएं/ कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी तथा नवप्रवेशित छात्रों के लिए संस्था छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनर्ह होगी। संस्था में नवप्रवेशित छात्रों में से अगले वर्ष यदि 50 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है तो संस्था व छात्र छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।</p>
	<p>6.(xx) (d) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को अनुरक्षण मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
	16(1) शिक्षण संस्थान के दायित्व)xxix- संस्था द्वारा छात्र के अन्वय नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।
	16(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व)xiii- (जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लॉक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।
16(1) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराना।	16(1) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।
(ii) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेगे।	विलोपित

2- उक्त संशोधन वर्ष 2020-21 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 व 2017 एवं तदोपरांत अन्य संशोधित नियमावली/शासनादेश के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।


(सुधा श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-221/2019/4119(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुखसचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
संख्या-960/2021/22/2021/64-2003/7/2019
लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

कार्यालय जाप

30 प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन के कार्यालय जाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/ 64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा 30 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 प्रख्यापित की गयी है, जो शैक्षिक सत्र 2012-13 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा द्वितीय संशोधन कार्यालय जाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा तृतीय संशोधन कार्यालय जाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा चतुर्थ संशोधन कार्यालय जाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा एवं पंचम संशोधन कार्यालय जाप संख्या-20/2017/902/ 64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा किया गया है।

2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र संख्या-1068/पि0व0क0/2021-22, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त 30 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 यथा संशोधित नियमावली-2017 के नियम-5(xi) 2 (iii) में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

30 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (षष्ठम संशोधन) नियमावली-2021

वर्तमान नियम			प्रस्तावित नियम		
5	शुल्क/फीस	(xi) 2(iii)- समूह-3 व 4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्स हेतु रू0 20000/- तथा गैर तकनीकी कोर्स/ 01वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु रू0 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।	5	शुल्क/फीस	(xi) 2(iii)- समूह-3 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 20000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।
					2(iv)- समूह-4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय जाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013, शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013, कार्यालय जाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय जाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014, कार्यालय जाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 19 अगस्त, 2016 एवं कार्यालय जाप संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित/संशोधित नियमावली के शीर्ष प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त विभाग/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, 30 प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, 30 प्र0 योजना भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली, 30 प्र0 लखनऊ।
9. समस्त उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, 30प्र0।
10. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, 30 प्र0।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4, 30 प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-108/2021/2499/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.-11।
लखनऊ : दिनांक:- 21 सितम्बर, 2021
कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 उ090 शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4 (358)/07, टी.सी.-11, दिनांक-14.04.2016 एवं अन्य संशोधनों के द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दरमात्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली" को सम्यकविधायीरूपसे समेकित एवं संशोधित करते हुये निम्नानुसार प्रख्यापित किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्तमान नियम		प्रतिस्थापित नियम	
1	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दरमात्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2016 (नया संशोधन सहित) कहलावेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दरमात्तर छात्रवृत्ति योजना (दरम संशोधन) नियमावली-2021 कहलावेगी।
2	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेंड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ माता-पिता अथवा अभिभावकों के अश्वित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेंड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ माता-पिता अथवा अभिभावकों के अश्वित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3	प्रसार/ विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएँ आच्छादित होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।	प्रसार/ विस्तार	व्यापक
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली को प्रविवरण 2016-17 शिक्षण सत्र से लागू होने।	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्रविवरण 2021-22 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5	परिभाषा		परिभाषा	
	i- केन्द्र सरकार	'केन्द्र सरकार' का तात्पर्य भारत सरकार से है।	केन्द्र सरकार	व्यापक
	ii- राज्य सरकार	'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	राज्य सरकार	व्यापक
	iii-अभ्यर्थी	'अभ्यर्थी' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संबलित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थान्त विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।	अभ्यर्थी	व्यापक
	(IV) निदेशालय	'निदेशालय' का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।		व्यापक
	(V) निदेशक	'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।		व्यापक
	(VI) वित्त निपन्त्रक	'वित्त निपन्त्रक' का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त निपन्त्रक से है।		व्यापक
	(VII) नोडल अधिकारी	'नोडल अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दरमात्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।		व्यापक

	(VIII) राज्य मुख्यालय स्थित कोषालय	"राज्य मुख्यालय स्थित कोषालय" का तात्पर्य जवाहर मान्दल अखनक स्थित कोषालय से है।		क्यावत
	IX- शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य शिक्षे द्वारा स्थापित अथवा स्वयं प्राधिकारी तार से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सफल प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।	शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	क्यावत
	X- अनुसूचित जाति	"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।	अनुसूचित जाति	क्यावत
	XI- अनुसूचित जनजाति	"अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।	अनुसूचित जनजाति	क्यावत
	XII - बैंक	"बैंक" का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से प्रचलित अन्तरगत की सुविधा उपलब्ध हो तथा संबंधित बैंक पी0एफ0एफ0एफ0 में पंजीकृत हो।	बैंक	क्यावत
	XIII- शैक्षणिक सत्र	"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।	शैक्षणिक सत्र	"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य क्या 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।
	XIV- छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित दाय धनसहायता सम्मिलित होगी- (क) अनुसूचित मत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरे खर्च (घ) होम कार्य का टुकड़ा/दुपट्टा खर्च (ङ) विद्यार्थी छात्रों के लिए अतिरिक्त मत्ता।	छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित दाय धनसहायता सम्मिलित होगी- (क) शैक्षणिक मत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क जिसका निर्धारण केंद्र/राज्य सरकार अथवा प्रदेश की शुल्क नियन्त्रण समिति द्वारा एक किया गया हो। (ग) दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मत्ता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मत्ता
	XVII- शुल्क राज्यवादेश संख्या-148/2018/2083/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	(क) 'शुल्क' का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य प्रचलति से है जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान का विरचयितात्व अथवा बॉर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जन्मदर्जी जमा जति जैसी वापस की जाने वाली प्रचलति इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा खेज, पुनिक्रम, लाइब्रेरी, पब्लिक रिलिक्ता जाय और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क जदि, जो सक्षम तार से अनुपलब्ध हो सम्मिलित होंगी। छात्रवृत्त/मैस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नोट-1- राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनसहायता भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्रायें इस	शुल्क	क्यावत

		<p>संरचना में अक्षर होने। नोट-2- किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रत्यक्षीय कोटा सीट, स्पट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमत्त नहीं होगी।</p>		
		<p>(ख) जिन माध्याम प्राय संस्थानों में माध्याम प्राय पाठ्यक्रमों में शुल्क संचयन निर्धारित करने की शक्ति केंद्र वा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को है, उन माध्याम प्राय शिक्षण संस्थानों में संचालित माध्याम प्राय पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संचयन के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वास्तव न की जाने वाली शुल्क की रकम में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>		व्ययगत
	<p>शासनादेश संख्या-10/2017 /आर-5859/26 -3-2016-4(358) /07 टी0सी0-11 दिनांक 10 जनवरी, 2017 (सदुर्घ्न संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से माध्याम प्राय पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अव्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्वयं चालित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा सस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति जो कम हो, की जायेगी।</p>		व्ययगत
		<p>(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के माध्याम प्राय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी पाठ्यक्रम (स्वयं चालित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वार्षिक फीस में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>		व्ययगत
	<p>शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(358) /07 टी0सी0-111 दिनांक 23 जून, 2017 (सदुर्घ्न संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>नियम-5 (ह) तकनीकी/अव्ययन से सम्बन्धित ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनकी फीस प्रदेश एच फीस नियमन समिति निर्धारित नहीं करती है उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>		वित्तगत

		(ग) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य मान-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्रभिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य मान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के स्तर में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।		(घ) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य मान-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्रभिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य मान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के स्तर में छात्र के अक्षर लिख बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।
	शासनादेश संख्या-10/2017/आर-6959/26-3-2016-4(358)/07 टीएसी-11 दिनांक 10 जनवरी, 2017 (घण्टी संशोधन) द्वारा संशोधित	(घ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा-तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छात्रप्रति स्थापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विरोध के लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है यदि किसी वर्ष विरोध में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियम समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस का भुगतान किया जायेगा।		(घ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा-तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छात्रप्रति स्थापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
	अनुमन्य शुल्क के अधिकारों का एकत्रीकरण व सश्रीकरण			
		(ग) जिलों में जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, खासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व सश्रीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।		यथाया
6	अर्था	छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अर्थवर्षी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे- (1) केवल वे ही अर्थवर्षी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हो अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं निवासी हो एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंड्री या इतने कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि- (2) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/सदिश अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमंता शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।	अर्था	छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अर्थवर्षी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे- (1) केवल वे ही अर्थवर्षी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हो अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं निवासी हो एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंड्री या इतने कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि- (2) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/सदिश अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमंता शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

		छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्त नहीं होगी।	
<p>शासनदेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(ii) यह छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित अध्यायी को छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त संस्थानों में यथापि जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दस्तावेजों या संकेतों के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जाएंगी। क- विमान अनुसंधान इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख- निजी विमान प्रालय लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- ट्रेनिंगशिप उपरिन (अब राजेन्दा) के पाठ्यक्रम। घ- सैनिक महविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रविष्टि केंद्रों के पाठ्यक्रम। छ- प्रजापार पाठ्यक्रम एवं सुदूर प अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमत्त संघी)। ज- निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाडी/सहज विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकरत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एग्जेंसी अधिष्ठात व जो अर्थात् ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से निर्दिष्ट नहीं किये जाते।</p>		यथावत
		(iii) ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता जल्दा अभिभावकों की सक्ता संतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।	यथावत
		(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के परचात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे। उदाहरणार्थ-इंटर आर्ट्स करने के बाद इंटर साइंस करने लगे या बीएए करने के बाद बीकॉम करने लगे या एक विषय में एफएए करने के बाद किसी दूसरे विषय में एफएए करने लगे।	यथावत
<p>शासनदेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक परचात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल व परास्नातक लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत लेवल एक पाठ्यक्रम में अनुसंधान भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्त होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमत्त नहीं होगी।</p>	<p>(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक परचात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक उपरत स्नातक लेवल परास्नातक लेवल, परास्नातक के उपरत रिक्त लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में संशुद्धि भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्त होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमत्त नहीं होगी।</p>	
		(vi) तबत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुदलीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के छात्र संकेतों स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे तथापि, उन मामलों में जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मेट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के परचात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो ऐसे छात्रों को मेट्रीकुलेशन छात्र समझा जावेगा।	यथावत
		(vii) यदि विद्यार्थी इन्टरमिडियत कक्षा के दौरान कुछ पारिश्रमिक अवकाश अन्य	यथावत

	पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भला वा जमीन या खेत हैं तो एमपीवीओएस पाठ्यक्रम में इन्टरव्यू/ हाउस सैरिस की अग्रे के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।		
	(viii) शिक्षित ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होने, यदि तब पाठ्यक्रम की अग्रे के दौरान उन्हें प्रोटेक्ट करने की अनुमति न दी गयी हो।		व्यापक
	(ix) किसी भी माचल प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी इतिहास (स्टाडियन्ट) अथवा सैलरिप वाले वाले छात्र/छात्रा इसके लिए जर्द नहीं हलें।		व्यापक
	(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तिवा दी जायेगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/द्विती पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तिवा दी जायेगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/द्विती पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होना अनिवार्य होगा।
	(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वाचस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिसकी स्वर की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी शर्तों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।		व्यापक
	(xii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।		व्यापक
	(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति वाले बाला कर्ष में छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्रदान किया गया हो तो छात्र तब दोनों छात्रवृत्ति/ वृत्तिका में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो अपना विकल्प दे सकता है और दिने गये विकल्प के बने में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उक्त तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वृत्तिका स्वीकार करता/ करती है इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से वा किसी अन्य बाल से पुरातक, उपकरण खरीदने वा आवस तथा भंडन व्यय पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निशुल्क भोजन वा अनुदान वा इत्थं अधिक सहायता स्वीकार कर सकता है।		व्यापक

		(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से द्वितीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत बर्षों के पात्र नहीं होंगे।	सशर्त
		(xv) जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित है, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की जमी बंटो से प्राप्त आय को ही लिया जाएगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा इनमें से दूसरी अवसर पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संसद की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की बचत में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिसके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुखद घटना होने वाले स्थिति से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जाएगा, बशर्त वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुक्रमा के अभाव पर, आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख को समाप्त होने के पर्यन्त भी विचार किया जा सकता है।	सशर्त
शासनादेश संख्या-10/2017 /आर-5859/26 -3-2016-4(358) /07 टी0सी0-II दिनांक 10 जनवरी, 2017 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित	(xvii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से उचित प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होगा।	(xvi) यदि कोई छात्र विगत वर्ष शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से उचित प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होगा।	
शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(358) /07 टी0सी0-III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्ठम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xviii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्त होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को मुक्तान्तित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।	(xvii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्त होगी। उक्त उपस्थिति अक्षर बंध उपस्थिति प्रणाली (नैतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्वीकृत करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि मुक्तान्तित हो गया है तो मुक्तान्तित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी।	
शासनादेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 016-4(356)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून,	(xix) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को सक्रम सत्र से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता	(xviii) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को सक्रम सत्र से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की मुक्तान्तित की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से वापस कर लिया जा सकता है।	

	<p>2018 (सफल संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>है तो यह वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।</p> <p>किसी छात्र का एरिपर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का अफलानुदान आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है; यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुसूचना मत्ता एवं शुल्क की एरिपर की धनराशि अनुसूचना नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।</p>	<p>किसी छात्र का एरिपर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का अफलानुदान आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है; यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को वैधानिक मत्ता एवं शुल्क की एरिपर की धनराशि अनुसूचना नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।</p>
	<p>शासनदेश संख्या-148/2018/2063/26-3-2 018-4(358)/07 टी०ली०-III दिनांक 28 जून 2018 (सफल संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(XX) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुसूचना मत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के संसूचक कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएँ/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता देने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।</p>	<p>(Xix) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वैधानिक मत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के संसूचक कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएँ/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता देने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।</p>
	<p>शासनदेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2 019-4(358)/07 टी०ली०-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (सफल संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>e-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरान्त B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुसूचना मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचना होगी।</p> <p>(ख) अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संघटित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को अनुसूचना मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचना होगी।</p>	<p>e-(xx)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीएच आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वैधानिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचना होगी।</p> <p>(ख) अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय मत्ता सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संघटित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही वैधानिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचना होगी।</p>
	<p>शासनदेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2 019-4(358)/07 टी०ली०-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (सफल संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>e-(xxii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संघटित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मिनेजमेन्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्थ होगा।</p>	<p>e-(xxi) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संघटित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मिनेजमेन्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्थ होगा।</p>

				(xxii) आईटीआई पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा कक्षा-8 निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल अथवा कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।
7	मूल निवास का अनुमत्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर क्लिपित की जाने वाली वसामोतार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का उल्लेख होने पर पुष्पक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दरमोतार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आगेदर के निवास की तहसील के उपजिलधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद उल्लेख प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।	मूल निवास का अनुमत्य साक्ष्य	व्यथा
8	माता-पिता/अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमत्य साक्ष्य	माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमत्य होंगे- (i) माता-पिता या पति या संरक्षक जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके निपोजित द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त जतिरिक्त आय का घोषण पत्र देना होगा।	माता-पिता / अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमत्य साक्ष्य	विलोपित
		(ii) अन्यथा के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समता श्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अन्यथा के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।		व्यथा
		(iii) अन्यथा के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा किये जाने वाले मकाल किराये भाते को "आय" में शामिल नहीं किया जावेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।		व्यथा
		(iv) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जावेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।		व्यथा
		(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की केषता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अकारिता की जायेगी।		

<p>9</p>	<p>शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(368) /07 टी0सी0-III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्ठम संशोधन) द्वारा संशोधित</p> <p>मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर</p>	<p>(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संघालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनताइन भरकर 'मास्टर डाटाबेस' में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंघालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0) पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अख्यतरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रमारी अधिकारी प्रदेश के बाहर दशनांतर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जावेगा।</p>	<p>मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर</p>	<p>(ii) (क) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संघालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनताइन भरकर 'मास्टर डाटाबेस' में प्रत्येक वर्ष जारी समय-सारिणी में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंघालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0) पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अख्यतरत छात्र/छात्रा ही शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/ नोडल/प्रमारी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दशनांतर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जावेगा।</p> <p>(ख) मास्टर डाटा में नवीन व पुराने शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये आनताइन डाटा को विस्तारितालय/सुपेरिविजेंटिंग एजेंसी (जिला लागू हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा।</p> <p>(ग) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से मास्टर डाटा से सत्यापनपरांत सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा- उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा आदि के विभागाध्यक्ष द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन करके स्तुति की जायेगी। विभागपक्ष स्तर से स्तुति के उपरांत ही सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के छात्रों को शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।</p>
<p>शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(368) /07 टी0सी0-III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्ठम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(ii) जहाँ मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संघालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 15 जुलाई के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उल्लेखित जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।</p>			<p align="center">यथावत</p>
		<p>(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संघालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नाम-विफलडेंडिल शुल्क (फैस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनताइन करा जायेगा। शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुसूच्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि 01/07/2017 काइत के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा</p>		<p align="center">यथावत</p>

	<p>उपलब्ध/अपलब्ध कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।</p>		
	<p>(iv) जनपद में संघटित बैंक, बैंक शाखाओं तथा एनए आईएफएएस कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के नाम व उनके आईएफएएस कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल करने एवं आईएफएएस कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।</p>		<p>विस्तारित</p>
	<p>(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दरमोतार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।</p>		<p>(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दरमोतार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।</p>
	<p>(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें प्रचार स्वीकृत सीटों की संख्या अदि विवरण का साधारण जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संबन्धित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कॉपी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दरमोतार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा कसई त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा</p>		<p>(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें प्रचार स्वीकृत सीटों की संख्या अदि विवरण का साधारण जिला विद्यालय निरीक्षक, एक्टिवेटिंग एजेंटियों के नोडल अधिकारियों एवं संबन्धित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। उक्त स्तर से मास्टर डाटा लॉक होने के उपरान्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागप्रमुख स्तर से परीक्षणोपरान्त मास्टर डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कॉपी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दरमोतार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दरमोतार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।</p>

		मास्टर डाटाबेस में भर गये विवरण को प्रभावी/ नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को तालक किया जायेगा।		
10	अनुसूच्य भत्ता की निर्धारित दरें।	(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुसूच्य भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्रविधान किया गया है, वह उदुत्तुलुत ललु रहेगा, जो संतलनक परिशिष्ट "क" में अंकित है।	अनुसूच्य भत्ता की निर्धारित दरें।	दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्रविधान किया गया है, वह उदुत्तुलुत ललु रहेगा, जो संतलनक परिशिष्ट "क" में अंकित है।
		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उनको अनुसूच्य भत्ता की दरों का 1/3 अनुसूच्य व्यर दिया जायेगा।		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भत्ता की दरों का 1/3 शैक्षणिक भत्ता/व्यर दिया जायेगा।
11	छात्र को अनुसूच्य भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता कुत का निर्धारण।	(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुस्त भुगतान किया जायेगा।	छात्र को अनुसूच्य भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता कुत का निर्धारण।	(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आधार बैंक भुगतान प्रणाली के माधुतन से एकमुस्त भुगतान किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत रुप्यांश छात्रों को आधार लिंक बैंक खातों में भुगतानोपरान्त शेष 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान उन्ही छात्रों के आधार लिंक बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा।
		(ii) वित्तोपेत		(ii) शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नकिंत वरीयता कुत में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अव्यधे को अकार लिंक बैंक खाते में सीधे जन्तारित करके दो बार में (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा) भुगतान की जायेगी-
		(iii) वित्तोपेत		(क)-केन्द्र अधुत राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संघालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वाधलशासी शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें।
		(iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्रों को अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नकिंत वरीयता कुत में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में आरुलक्षण भर गये आवेदन पत्रों में से छात्र वाये गये छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा बैंक में छोले गये बचत खातों में सीधे जन्तारित करके भुगतान की जायेगी-		(ख)-केन्द्र अधुत राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्रात निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें।
		(क)-केन्द्र अधुत राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संघालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वाधलशासी शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें।		(ग)- निजी क्षेत्र के मान्यता प्रात शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्रात पाठ्यक्रमों में अव्यधनरत छात्र/ छात्रावें तथा राज्य विरुधलशासी एवं केन्द्र व राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्रात निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों (Aided Institutions) के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अव्यधनरत छात्र/ छात्रावें।
		(ख)-केन्द्र अधुत राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्रात निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें।		नोट- उपरोक्त वरीयता कुत में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता कुत के समत छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक जगले वरीयता कुत के छात्र- छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह कुत उक्त वरीयता कुत-क" से "ग" तक जारी रहेगा।
		(ग)-निजी क्षेत्र के मान्यता प्रात शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्रात पाठ्यक्रमों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें तथा राज्य विरुधलशासी के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अव्यधनरत छात्र/छात्रावें।		(iii) उपरोक्त वरीयताकुत के अन्तर्गत प्रत्येक वरीयताकुत में पात्रता रखने वाले छात्रों को निम्नानुसार डेटेज अंक प्रदान किए जायेगे-
		नोट- उपरोक्त वरीयता कुत में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं		(घ)- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्रात संस्थाओं से हाईस्कूल अधुत इन्टर करने वाले छात्रों को।
				(ङ)- माता-पिता दोनों अधुत एक के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।

शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जाएगी। एक बरीयता कम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पर्याप्त ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले बरीयता कम के छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की जाएगी। यह धन उक्त बरीयता श्रेणी- 'क' से 'ग' तक जारी रहेगा।

(V) प्रत्येक बरीयता कम के अन्दर छात्रों का चयन विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जाएगा-

1-(i)- विगत विगत

ii -विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक

क्र० सं०	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	30% तक	2
2	30% से अधिक 45% तक	4
3	45% से अधिक 60% तक	6
4	60% से अधिक 75% तक	8
5	75% से अधिक	10

iii- समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क्र० सं०	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज अंक इटल किया जाएगा। छात्र/छात्रा के विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम, दोनों के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा, तदोपरान्त घटते हुए क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जाएगा।

2- छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अग्र्यर्थी की आयु को बरीयता दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जाएगा, कक्षागत छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम (अग्र्यर्थी क्रम) में वितरण किया जाएगा।

3- इसके परभाव में यदि कई अग्र्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा।

4- छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक आयु

(ज)- SECC-2011 के अनुसार 03 या उससे अधिक वंचितकरण (Deprivations) होने पर वरीयता।

क्र० सं०	प्राथमिकता हेतु निर्धारित बिन्दु	वेटेज अंक
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इंटर करने वाले छात्र।	10
2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अशिक्षित हों।	08
3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता में से कोई एक अशिक्षित हो।	06
4	SECC-2011 (Socio-Economic & Caste Census) के सर्वे में 03 या उससे अधिक वंचितकरण (Deprivations) होने पर।	04

(iv) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जाएगी। नवीनीकरण के परभाव अग्र्यर्थी धनराशि ही नये अग्र्यर्थियों को

	<p>एक अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पाठ" के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जाएगा।</p> <p>(vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार विद्यार्थी की गरीब अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जाएगी। नवीनीकरण के पर्याप्त अवरोध धनराशि ही नये अर्थव्यवस्थाओं को वितरित की जाएगी।</p> <p>(i) अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को विगत कक्षा के प्राप्तिक प्रतिफल एवं समुचित पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान किया जाएगा। अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्ता-11 (iv) में वर्णित शैक्षिक श्रेणी के क्रम में अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जाएगा। किसी श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (v) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर समुचित वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। तदोपरान्त घटते हुए क्रम में वितरण किया जाएगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आवरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो।</p> <p>(ii) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अर्थव्यवस्था की आयु को श्रेयता दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जाएगा, तदोपरान्त छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जाएगा।</p> <p>(iii) इसके पर्याप्त भी यदि कई अर्थव्यवस्था कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा।</p> <p>(iv) छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पाठ" के आधार पर अनुसूच्य भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जाएगा।</p>	<p>उपरोक्तानुसार श्रेणी के क्रम में वितरित की जाएगी।</p> <p>(क) शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्ता-11 (iii) में वर्णित श्रेणी के क्रम में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जाएगा। किसी श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (iii) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर समुचित वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। तदोपरान्त घटते हुए क्रम में वितरण किया जाएगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आवरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो।</p> <p>(ख) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था की आयु को श्रेयता दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जाएगा, तदोपरान्त छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जाएगा।</p> <p>(ग) इसके पर्याप्त भी यदि कई अर्थव्यवस्था कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा।</p> <p>(घ) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पाठ" के आधार पर शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जाएगा।</p> <p>नोट-(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनावर्तित उक्त श्रेणी, संयुक्त वेटेज अंक, आयु, अल्फाबेटिक अक्षर अक्षर "प्रथम आगत प्रथम पाठ" के आधार पर तामानित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में तामानित होने वाले छात्रों का श्रेयता मानक एक समान रखा जाय।</p> <p>नोट-(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की इस्तसरात साफ्टवेयर (सीवीडी) निर्देशालय सहाय कल्याण, उज्जैन लखनऊ को दो प्रतिवर्षों में अभिलेखाध्यय उपलब्ध करायी जाएगी।</p> <p>नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुसूच्य प्रतिवर्ष श्रेयता क्रम के आधार पर</p>
--	---	--

	<p>शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1014/26 -3-2017-4(368) /07 टी0सी0-III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्ठन संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>नोट-(1) दशमांतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाअंतर्गत उक्त वरीयता श्रेणी छात्रांक/समूह के संयुक्त बेटेज, लड़कें, अल्फाबेटिक आधार अथवा 'प्रथम आगत प्रथम रात' के आधार पर तामनिष्ठ करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में तामनिष्ठ होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।</p> <p>नोट-(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकोपी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उओओ, लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखाई उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता कम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूचित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में पनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उओओ, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	<p>नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूचित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में पनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उओओ, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>
	<p>शासनादेश संख्या-463/26-3-2019 दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित</p>	<p>नियम-11 (vii)- प्रायोक वर्ग/सैलिक सत्र में उपलब्ध एक बजट समव-सारिणी निर्गत की जायेगी। निर्गत समव-सारिणी के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियम-11 (i) से नियम-11(vii) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।</p> <p>निर्धारित समव-सारिणी के उपरान्त किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिए आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनको विलम्बित श्रेणी मानते हुए वरीयता में सबसे नीचे रखते हुए पनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुए निर्धारित तिथि के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।</p>	<p>नियम-11 (v)- समव-सारिणी के अन्तर्गत शैक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियम-11 (i) से नियम-11(iv) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।</p> <p>निर्धारित समव-सारिणी के उपरान्त किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिए आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनको विलम्बित श्रेणी मानते हुए वरीयता में सबसे नीचे रखते हुए पनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुए निर्धारित तिथि के अनुसार शैक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।</p>
<p>12</p>	<p>दशमांतर अनुसूच्य भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव</p> <p>शासनादेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2</p>	<p>(I) इस योजना में अई छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।</p> <p>(क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही ढाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमत्त होगी। किन्तु निःशुल्क प्रवेश की अनुमत्त व्यवस्था बाधकारी नहीं होगी। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमत्त नहीं</p>	<p>नियम-12 (I) इस योजना में अई छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।</p> <p>(क)-राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही ढाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमत्त होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु भी आनलाइन आवेदन करना तथा आधार एवं ओप्टीसीओ से प्रमाणीकरण के उपरान्त आवेदन को आइएनएटि समिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अप्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अई हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्राकृत पर कौशलिक कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अप्रसारित करते समय</p>

<p>018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 28 जून, 2018 (सिपाय संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>होगी।</p> <p>(ख) छात्र/संस्थान/शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हाई कोपी एवं समस्त परिशिष्ट व तालिकाओं सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर या फेरबदल न किये जाने पर तब छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संशोधित विवरण करने पर उक्त निशुल्क प्रवेश की अनुमति का समाप्त हो जायेगी।</p> <p>(ग) जिन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की पिता वर्ष की दशमांश अनुसंधान मला/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है उन संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निशुल्क प्रवेश देने के लिये संस्थान सक्षम नहीं होंगे।</p> <p>(घ) संस्थान में छात्र को निशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में तालिका निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट ख) पर अनुबन्ध पत्र लिखादिता किया जायेगा।</p> <p>(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट से अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्रा के द्वारा बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।</p> <p>(च) ऐसे संस्थान जिनका सक्षम प्रविष्टिकर्ता स्तर से अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनमें विहित विधियों के अनुसार कुल प्रवेश समाप्त के सप्ति 30 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने वाले संस्थानों में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत छात्रों को इस नियमावली में प्राधिकारित अनुमति सुविधा पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।</p> <p>(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमांश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं शैक्षणिक मला/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सन्मूल विवरण पुनः भरण के स्थान पर शैक्षणिक मला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु</p>	<p>छात्र को पात्रता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। निशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ख) पथावत</p> <p>नियम-12 (i) (ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निशुल्क प्रवेश हेतु शैक्षणिक कार्य निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरान्त शिक्षण संस्थान विभाग द्वारा छात्र के आधार तिक बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन क्वचित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।</p> <p>(घ) पथावत</p> <p>(च) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट से अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार छात्र/छात्रा को शैक्षणिक मला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्रा के आधार तिक बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p> <p>(छ) निर्धारित</p>
---	--	--

	<p>छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनसिमा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुन भरने के खत पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/संशोधित सूचनाएँ ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टिवां आनलाइन जुट्टि रहित भत्कर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-घ के अनुसार खलन कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-घ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।</p>	<p>नवीन/ संशोधित सूचनाएँ ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टिवां आनलाइन जुट्टि रहित भत्कर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-घ के अनुसार खलन कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु हायर के लिए जारी समय-सारिणी में निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-घ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।</p>
	<p>(III) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में खलन प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर नडैल समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ खलन अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं उई पावे गये आवेदन-पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>1-संस्था प्रमुच/ निदेशक/ प्रचारक/ प्रामाणिक- अरुण 2-संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - उदय 3-संस्था के वरिष्ठतम अनुभवी व प्राध्यापक- रजय</p> <p>अथवा संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछडा वर्ग के प्राध्यापक (अनु) जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)</p> <p>अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु) जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)</p>	<p>(III) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में खलन प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ खलन अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं उई पावे गये आवेदन-पत्रों पर वैधानिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर नडैल निम्न समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>1-संस्था प्रमुच/ निदेशक/ प्रचारक/ प्रामाणिक- अरुण 2-संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - उदय 3-संस्था के वरिष्ठतम अनुभवी व प्राध्यापक- रजय</p> <p>अथवा संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछडा वर्ग के प्राध्यापक (अनु) जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)</p> <p>अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु) जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)</p>
	<p>(IV) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सार्वजनिक एवं अधसूचित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समस्त सखनकों तहिय संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यपित विवरण की शर्तकारी परिशिष्ट 'घ' के अनुसार खलन प्रमाण-पत्र संस्था के प्रमुच द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला नमाज कार्यालय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/ छात्राओं का अस्था जुट्टिपूर्ण गला या अर्पूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा संस्तुति करण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से निरकट कर दिया जायेगा।</p>	<p>पशाया</p>
	<p>(V) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु</p>	<p>(V) वैधानिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रवेक जिला नमाज</p>

	<p>प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अनलाइन संकलन एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का स्वच्छता निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>1- शिक्षण संस्थान स्तर पर-</p> <p>(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु अनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संघर्षित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं स्वाम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की सतम्नको सहित हस्ताक्षरित साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>(ब) छात्र-छात्राओं के अनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की सतम्नको सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकॉपी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निम्नलिखित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>2- जनपद स्तर पर-</p> <p>क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर-</p> <p>1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं स्वाम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आवेदों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा अनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विवरण आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित सञ्चालक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकॉपी डीवीडी में।</p> <p>3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार सञ्चालक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।</p> <p>4- छात्रवृत्ति सर्वे पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर अपरेटर, लेखाकार, परत सहायक, नोडल अधिकारी वोजन एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।</p> <p>6- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सरपेस्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के</p>	<p>कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अनलाइन संकलन एवं लाक किये गये विवरण की तथा शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का स्वच्छता निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>1- शिक्षण संस्थान स्तर पर-</p> <p>(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु अनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संघर्षित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं स्वाम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की सतम्नको सहित हस्ताक्षरित साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>(ब) छात्र-छात्राओं के अनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की सतम्नको सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकॉपी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निम्नलिखित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>2- जनपद स्तर पर-</p> <p>क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर-</p> <p>1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं स्वाम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आवेदों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।</p> <p>2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा अनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विवरण आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित सञ्चालक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकॉपी डीवीडी में।</p> <p>3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत शैक्षिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार सञ्चालक हस्ताक्षरित विवरण (शैक्षिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।</p> <p>4- छात्रवृत्ति सर्वे पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर अपरेटर, लेखाकार, परत सहायक, नोडल अधिकारी वोजन एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।</p> <p>6- शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सरपेस्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।</p> <p>7- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त सम्बन्धित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित फेसलिट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर अपरेटर, लेखाकार, परत सहायक, नोडल अधिकारी वोजन एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।</p>
--	--	--

	<p>कारण सहित।</p> <p>7- रैडिक संस्कार छात्र-छात्र के छात्रों में पनपारी अन्तर्गत के उपरान्त लम्बित छात्र-छात्र के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर, आर्गरेटर, लेआउटर, प्रिन्टर, मोडल अधिकारी योजना एवं विद्या निगन्त्रक द्वारा इस्तेमालित)।</p> <p>(ख) जनपदीय एन(आई)सी स्तर पर-</p> <p>1- छात्र-छात्रों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनसद सार्वीय छात्रकृति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल इस्तेमाल से जाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाइल/ट्रांजेक्शन फाइल/बैंक खातों में अनारित छात्रकृति/जंक व सम्बन्धित डाटा का विवरण साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क में।</p>	<p>(ख) जनपदीय एन(आई)सी स्तर पर-</p> <p>1- छात्र-छात्रों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनसद सार्वीय छात्रकृति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल इस्तेमाल से जाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाइल/ट्रांजेक्शन फाइल/बैंक खातों में अनारित छात्रकृति/जंक व सम्बन्धित डाटा का विवरण साफ्टकॉपी डीवीडी, हार्डडिस्क में।</p>
	<p>(VI) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मन्वटा, वेबसाइट एवं वर्गवार अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर अनुमत्य सत्यापन एवं डिजिटल इस्तेमाल से जाक किया जायेगा। तदुपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित रिपि ठक बाव, जाती एवं निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अकेला पनपारी तथा अन्य प्रमाण पत्र प्रारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड/आक रेवन्यू (उप) की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाती प्रमाण पत्र में अंकित जाती एवं निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राज्य परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्र के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक/परीक्षाफल आदि का मिलान सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा उनके द्वारा एन(आई)सी को उपलब्ध करायी गयी आधिकारिक डाटा से किया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छरनी करकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण करकर शुद्ध एवं सन्देशस्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रकृति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	<p>(VI) शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित अधिकारी तथा विश्वविद्यालय/एकितिवेटिंग एजेंसी के नौडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मन्वटा, वेबसाइट एवं वर्गवार अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर अनुमत्य सत्यापन एवं डिजिटल इस्तेमाल से जाक किया जायेगा। तदुपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित रिपि ठक बाव, जाती एवं निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अंकित धनपति तथा अन्य प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड/आक रेवन्यू (उप) की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाती प्रमाण पत्र में अंकित जाती एवं निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राज्य परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्र के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। नवीनीकरण के छात्रों का बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक एवं परीक्षाफल का भी मिलान किया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छरनी करकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण करकर शुद्ध एवं सन्देशस्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रकृति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
	<p>(VII) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर अनुक्षण माला/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है-</p> <p>1- डिप्टी कमिश्नरी - अध्यक्ष 2- मुख्य विद्या अधिकारी - उपअध्यक्ष</p> <p>3- जनपदीय उपनिवेशिक/अन्य नगरीय इतिमि - सदस्य 4- शिक्षा विभाग निदेशक - सदस्य 5- शिक्षा सूचना विज्ञान अधिकारी - उपसचिव</p>	<p>(VII) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर वार्षिक माला/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है-</p> <p>1- डिप्टी कमिश्नरी - अध्यक्ष 2- मुख्य विद्या अधिकारी - उपअध्यक्ष 3- जनपदीय उपनिवेशिक/अन्य नगरीय इतिमि - सदस्य 4- शिक्षा विभाग निदेशक - सदस्य 5- शिक्षा सूचना विज्ञान अधिकारी - उपसचिव 6- मुख्य/रिपि उपनिवेशिक - सदस्य 7- शिक्षा सूचना विज्ञान अधिकारी - उपसचिव</p>

	<p>6- युवा/दीर्घ अवधिवाली -सदस्य</p> <p>7- जिला समाज कल्याण अधिकारी -सदस्य सचिव</p> <p>यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जाएगी जो इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करावेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।</p>	<p>यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जाएगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करावेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।</p>
	<p>(VIII) (1) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्टेट यूनिट, लखनऊ से परीक्षणोपलब्ध प्राप्त आनताइन डाटा (गुड एवं सन्देशास्पद डाटा) को छात्रों के विवरण विषयक सूची की हाई कापी सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के सम्म प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जाएगी-</p> <p>क- विलंबित</p> <p>ख- परीक्षणोपलब्ध गुड डाटा से सम्बन्धित छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सूची व नोटशीट पर प्राप्त की जाएगी। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों की सूची की हाईकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के सम्म परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>ग- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, लखनऊ के माध्यम से राइट पर आनताइन उपलब्ध कराये गये सन्देशास्पद डाटा से सम्बन्धित छात्रों के विवरण विषयक सूची तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र संलग्नकों सहित हाईकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के सम्म परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण या आवश्यकता होने पर जांच कराकर सन्देशास्पद मामलों में अभाव होने की स्थिति में छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अस्वीकृति प्रदान की जाएगी। समिति द्वारा अस्वीकृति छात्रों की सूची की हाई कापी व नोटशीट पर प्रदान की जाएगी।</p> <p>घ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति से पूर्व निष्पन्न सन्देशास्पद एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हाईकापी से करेगी तथा रेफरन्सी अपने स्तर से स्वीकृत जांच भी करावेगी।</p> <p>ङ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनताइन स्वीकृत करने के उपरान्त ही राज्य स्तर पर बिल बनाने की कार्यवाही की जाएगी।</p>	<p>(VIII) (1) यथागत</p> <p>क- परीक्षणोपलब्ध गुड डाटा से सम्बन्धित छात्रों की शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सूची व नोटशीट पर प्राप्त की जाएगी। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों की सूची की हाईकापी भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के सम्म परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>ख- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, लखनऊ के माध्यम से राइट पर आनताइन उपलब्ध कराये गये सन्देशास्पद डाटा से सम्बन्धित छात्रों के विवरण विषयक सूची तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र संलग्नकों सहित हाईकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के सम्म परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण या आवश्यकता होने पर जांच कराकर सन्देशास्पद मामलों में अभाव होने की स्थिति में छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अस्वीकृति प्रदान की जाएगी। समिति द्वारा अस्वीकृति छात्रों की सूची की हाई कापी व नोटशीट पर प्रदान की जाएगी।</p> <p>ग- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति से पूर्व निष्पन्न सन्देशास्पद एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हाईकापी से करेगी तथा रेफरन्सी अपने स्तर से स्वीकृत जांच भी करावेगी।</p> <p>घ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनताइन स्वीकृत करने के उपरान्त ही राज्य स्तर पर बिल बनाने की कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>ङ- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/संस्तुत न किये गये सभी छात्रों के सम्बन्धित कार्यों का उल्लेख भी वेबसाइट पर अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।</p> <p>च- यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जब डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनायी जाएगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण की जाएगी।</p>

	<p>1- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/संतुत न किये गये सभी डाटा के समुच्चय कारणों का उल्लेख नी वेबसाइट पर अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा।</p> <p>2- वही प्रक्रिया उत्तम स्तर पर एक डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनायी जायेगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।</p> <p>2- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन्वार्डरनींग (स्टेट क्विंट) लक्षणक से विषयित अनलाइन साफ्टवेयर द्वारा माप जनरेट करवायी जायेगी जो निदेशालय के लागिण पर उपलब्ध हो जायेगी।</p> <p>3- इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ड्र-पैमेंट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तर्गत की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त निष्पन्न, मंडल अधिकारी (दरमन्तर वित्तिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।</p> <p>4- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (स्टेट क्विंट) लक्षणक द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित शैति से डाटा का प्रॉसेस कराकर केंद्र माप जनरेट की जायेगी। अनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनसदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्भावितों की धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।</p>	<p>2- व्यवस्था</p> <p>3- इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को वित्तिक मत्ता/ शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ही ड्र-पैमेंट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तर्गत की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त निष्पन्न, मंडल अधिकारी (दरमन्तर वित्तिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।</p> <p>4- व्यवस्था</p>
	<p>6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अन्वर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अन्वर्थी का आवेदन पात्र मत्त तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।</p>	<p>5- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अन्वर्थी को वित्तिक मत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अन्वर्थी का आवेदन पात्र मत्त तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।</p>
	<p>(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लक्षणक के स्तर पर जनसदी से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा- 1- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के</p>	<p>(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) लक्षणक के स्तर पर जनसदी से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा- 1- वित्तिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलाव 0399 सार्वजनिक शिक्षा परीक एवं</p>

	<p>अभियन्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमिक वर्ष एवं बोर्ड का मिलान छात्रों/मध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जावेगा।</p> <p>2- छात्र/छात्राओं के ज्ञाप प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों के जारी करने का सुव्यवस्थापन एवं उसके अंकित विवरण तथा- आय की धनराशि, इनाम-पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जावेगा।</p> <p>3- छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर टुलीकेंद सन्देशसमय एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर पीएफएमएस (PFMS) रिकॉर्ड के साथ जनशर्तों को उपलब्ध कराया जावेगा।</p> <p>4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/ बोर्ड परीक्षण के क्रमांक का मिलान सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा एनआईसी को उपलब्ध करायी गयी अधिकारिक डाटा से करा लिया जावेगा।</p> <p>5- छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक माप रिक्तस्थिति शुल्क के रूप में अंकित की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला सहाय कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्टूडनर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जावेगा।</p> <p>6- नवीनीकरण के छात्रों के परीक्षाफल से सम्बन्धित विवरण का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये गये परीक्षाफल जिसे उनके द्वारा स्कालरशिप पोर्टल पर अधिकारिक रूप से अपलोड किया गया है, से किया जावेगा। इसी प्रकार कालेजों में नव-प्रवेशित छात्रों के इण्टर परीक्षाफल के अंकों का मिलान उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद/अन्य सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इण्टर परीक्षाफल से किया जावेगा।</p>	<p>स्तर पर परीक्षण के विन्दु</p>	<p>अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से व्याप्तसम्भव लाइव कराया जावेगा।</p> <p>2- छात्र/छात्राओं के ज्ञाप प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों के जारी करने का सुव्यवस्थापन एवं उसके अंकित विवरण तथा- आय की धनराशि, इनाम-पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से व्याप्तसम्भव लाइव कराया जावेगा।</p> <p>3- व्याप्त</p> <p>4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/ बोर्ड परीक्षण के क्रमांक का मिलान सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा एनआईसी को उपलब्ध करायी गयी अधिकारिक डाटा व्याप्तसम्भव लाइव किया जावेगा।</p> <p>5- व्याप्त</p> <p>6- नवीनीकरण के छात्रों के परीक्षाफल से सम्बन्धित विवरण का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये गये परीक्षाफल जिसे उनके द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अधिकारिक रूप से अपलोड किया गया है, से व्याप्तसम्भव लाइव किया जावेगा। इसी प्रकार कालेजों में प्रवेशित छात्रों की इण्टर परीक्षाफल के अंकों का मिलान उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद/अन्य सम्बन्धी परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इण्टर परीक्षाफल से व्याप्तसम्भव लाइव किया जावेगा।</p>
	<p>(X) अभ्यर्थी को अनुमत्त छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय शिक्षा कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रत्येक एकमुश्त किया जावेगा।</p>		<p>(X) अभ्यर्थी को अनुमत्त शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि में से 40 प्रतिशत धनराशि राज्याह के रूप में उसके अवधारित बैंक बचत खाते में एकमुश्त भुगतान अथवा बचत प्रणाली के माध्यम से सीधे राज्य मुख्यालय शिक्षा कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। तदुपरांत भुगतानित छात्रों को अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार द्वारा केन्द्राह के रूप में सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में उक्त प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जावेगा।</p>
	<p>(XI) इस निष्पत्तियों के प्रक्रियानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे राज्य मुख्यालय शिक्षा कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial</p>		<p>(XI) इस निष्पत्तियों के प्रक्रियानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्राओं के अवधारित बैंक बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय शिक्षा कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियानुसार 40 प्रतिशत राज्याह की धनराशि अन्तरित की जायेगी वित्तिका उत्तरदायित्व निर्देशावली के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर</p>

	<p>Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुरोध की जाएगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त निबन्धक, नोडल अधिकारी (दशमांतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।</p>	<p>छात्रवृत्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के अथवा बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा। अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में भेजने हेतु डाक को भारत सरकार से शेयर किया जायेगा।</p>
	<p>(XII) छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेंट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त निबन्धक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p>	<p>(XII) छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ई-पेमेंट के तहत PFMS (Public Financial Management System) से 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि अन्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त निबन्धक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में रोजगार भता/शुल्क प्रतिपूर्ति की 40 प्रतिशत धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार स्तर से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में विहित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरण की जाएगी।</p>
	<p>(XIII) निदेशालय के वित्त निबन्धक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति के कुल नाम की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की बेंनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेंनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरांत प्राप्त कैब बेंनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जाबहर भवन, कोषागार बखाना में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के अहम विवरण अधिकारी/वित्त निबन्धक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रूव करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः PFMS को प्राप्त होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रूव करते हुए ट्रेजरी तालिका पर उपलब्ध कराई जायेगी। उत्तरदायी कोषाधिकारी द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रूव किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे जायेगा। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त इन्वेस्टिड बेंनीफिशरी जनरेटों के तालिका पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सुदृढ़ कर PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु</p>	<p>(XIII) निदेशालय के वित्त निबन्धक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति के कुल नाम की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की बेंनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेंनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरांत प्राप्त कैब बेंनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जाबहर विवरण अधिकारी, निदेशालय से टोकन प्राप्त कर बैंक/कोषागार, जाबहर भवन, बखाना में पारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति अन्तरण हेतु पीएफएमएस पर ट्रान्जेक्शन के लिए फीड किया जायेगा। ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट होने के पश्चात PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के अहम विवरण अधिकारी/वित्त निबन्धक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रूव करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः PFMS को प्राप्त होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रूव करते हुए ट्रेजरी/बैंक तालिका पर उपलब्ध कराई जायेगी। उत्तरदायी कोषाधिकारी/बैंक द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रूव किया जायेगा, जिसके उपरान्त रोजगार भता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे जायेगा। छात्रवृत्ति की अवशेष राज्यांश की 60 प्रतिशत धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही भारत सरकार के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।</p>

		जिला सहायक कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी डिजिटल सिग्नेचर से संसुक्त एवं लॉक किया जाएगा। जिला नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (पंजना)/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।		
		(XIV) एन्फआईओसी (राज्य इकाई) द्वारा जिला नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेंनीफिशरी फाइल ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।		व्याप्त
		(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सहायक कल्याण अधिकारी, जिला नियंत्रक, नोडल अधिकारी (पंजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।		(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु कोषागार अहमदनगर तथा भारतीय स्टेट बैंक जाबान मयन, लखनऊ को नोडल ट्रेजरी/बैंक नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सहायक कल्याण अधिकारी, जिला नियंत्रक, नोडल अधिकारी (पंजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।
		(XVI) जिला नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जाएगी। उसतनुसार जनरेटड बेंनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में जिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर क्रीड कराने, बैंको से अतिरिक्त वसूल प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तात्कालिकी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रक का होगा।		(XVI) जिला नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जाएगी। उक्तनुसार जनरेटड बेंनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में जिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन शैथनिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर क्रीड कराने, बैंको से अतिरिक्त वसूल प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तात्कालिकी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रक का होगा।
13	मुग्तान व्यवस्था	(i) संरक्ष में अद्ययनत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।	मुग्तान व्यवस्था	पर्याप्त
		(ii) निर्देशालय के जिला नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की ऑन सूजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्तर छात्र/छात्रा के अकाउंट सीडब बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तर्गत की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सूजित बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में जिला नियंत्रक वा नोडल अधिकारी (पंजना) सार से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज एन्फआईओसी लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।		

		<p>बैंकिंग/वित्त एवं ट्रेडिंग/सहकारी/नॉन-बैंकिंग वित्त निदेशक या नोडल अधिकारी (पंजीन) सार से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 तखनक द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।</p>	
		<p>(iii) उक्तानुसार आन लाइन सृजित मीग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक विपणन/वी में वर्णित बरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेंट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अविवरित धनराशि प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अविवरित धनराशि प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।</p> <p>PFMS (Public Financial Management System)/ बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से पिलम्बत 01 माह के अन्दर वित्त निदेशक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0अ0 तखनक को उपलब्ध करा देंगे। वित्त निदेशक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के तागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।</p>	<p>(iii) उक्तानुसार आन लाइन सृजित मीग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक विपणन/वी में वर्णित बरीयता क्रम के अनुसार कोषागार/बैंक से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर मान, तखनक में खोले गये खाते में धनराशि प्राप्त धनराशि जमा होगी। ट्रांजेक्शन फेल्ड/अविवरित बैंक को वास्तु प्राप्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरान्त पुनः उन्ही छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने पर अविवरित धनराशि प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त निदेशक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/अन्तरण विवरण अधिकारी, मुध्यालय का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से पिलम्बत 01 माह के अन्दर वित्त निदेशक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0अ0 तखनक को उपलब्ध करा देंगे। वित्त निदेशक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। वित्त निदेशक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के तागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।</p>
		<p>(iv) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।</p>	<p>(iv) वित्तीय माता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।</p>
		<p>(v) अनुसूचक माता 01 अप्रैल अथवा</p>	<p>(v) वित्तीय माता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के नहीं, जो भी बाद में</p>

		नामंकन के नहीं, जो भी बाद में ही से वित्तिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक वित्तमें परेशायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्तें यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामंकन कराता है तो सभी नामंकन के महीने के बाद आने वाले महीने से ही जखेगी।		हो, से भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली मार्च, 2021 के अनुसार वित्तिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे।
		(vi) नामर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से ही जायेगी, जिस महीने तक यत वर्ष मुकतल की गयी थी।		विलोपित
14	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(i) छात्र/छात्रा को एक बार ही गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के काल से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होती बशर्तें कि छात्र/छात्रा का आवरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्तें यह हैं कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में प्रवृत्त रहे। समूह-2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि व वित्तिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(ii) छात्र/छात्रा को एक बार ही गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के काल से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्तें कि छात्र/छात्रा का आवरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्तें यह हैं कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होकर उच्चतर कक्षा में प्रवृत्त रहे।
		(ii) किसी भी समूह में छात्र के वित्तिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। सम्बन्धित छात्र को तब तक अपना खर्च एवं एक स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है।		व्यापक
		(iii) यदि छात्र अत्यल्पक अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो शिक्षित प्रमाण-पत्र तथा/अथवा सस्त्र के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके (सस्त्र के प्रमुख) द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले वित्तिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।		व्यापक
		(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वित्तिक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पर्याप्त टाइम परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अथवा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।		व्यापक
		(v) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया परीकरण क्रमांक माना अनिवार्य होगा।		व्यापक
15	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	(i) छात्रवृत्ति, अथवा शर्तें की सतोषजनक	छात्रवृत्ति के लिये अन्य	व्यापक

	<p>प्रगति एवं आवरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्य अपेक्षाकृत चरम अपने आचरण अथवा वृत्त के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दूर्यच्छास जैसे-हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनिश्चितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संश्लेषित करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।</p>	<p align="center">रुई</p>	
<p>अनिश्चिततायें पाये जाने पर FIR दर्ज करना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को कारी सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।</p>	<p>(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनात्मक छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपचार निम्नलिखित अनिश्चिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी एवं गहन की गयी धनराशि की वसूली शिलषिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को कारी सूची में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति शिलषिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भ्रकर सम्मिलित होने पर।</p> <p>2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।</p> <p>3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सहायित एवं अन्तरित करने पर।</p> <p>4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।</p> <p>6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करते तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>7- छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/ हेराफेरी करके छात्र/ शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने</p>	<p>अनिश्चिततायें पाये जाने पर FIR दर्ज करना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को कारी सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।</p>	<p>(ii) शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनात्मक निम्नलिखित अनिश्चिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों तथा विभागीय/अन्य विभागों के जनस्वीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपचार नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज काले हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गहन की गयी धनराशि की वसूली 3 प्रतिशत सहायण ब्याज के दर से सू-उत्कृष्ट की भांति शिलषिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को कारी सूची में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी।</p> <p>1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भ्रकर सम्मिलित होने पर।</p> <p>2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।</p> <p>3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भ्रता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सहायित एवं अन्तरित करने पर।</p> <p>4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।</p> <p>6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करते तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>7- शैक्षणिक भ्रता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/ हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक भ्रता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सहायित व अन्तरित करने पर।</p> <p>8- शिलषिकारी अथवा अधिकारी कार्यालय/शिक्षण विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/ हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर शैक्षणिक भ्रता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।</p> <p>9- शिलषिकारी/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में नमीर अनिश्चिततायें पाये जाने पर।</p> <p>10- शैक्षणिक भ्रता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरान्त धनराशि वापस न करने पर।</p>

	<p>एक विभाग संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन स्वीकारित व अवरुद्धित करने पर।</p> <p>8-जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटसहाय/हस्तक्षेप कर छात्रों को बड़ी हुई सख्या परीक्षक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों को बैंक खाता में अनरित करने अथवा अनरित करने का प्रयास करने पर।</p> <p>9-जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/आसन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर।</p>	
<p>शासनदेश संख्या-101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(356)/07 टी0सी0-III दिनांक 23 जून 2017 (षष्ठम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जाती है/दी गयी है छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुसूच्य भत्ता व शुल्क) की प्रनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज करता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्त नहीं होगी। यदि प्रनराशि मुगलन की गयी है तो छात्र/संस्था को प्रनराशि वापस करनी होगी।</p>	<p>(iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जाती है/दी गयी है छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क) की प्रनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज करता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्त नहीं होगी। यदि प्रनराशि मुगलन की गयी है तो छात्र/संस्था को प्रनराशि वापस करनी होगी।</p>
<p>16 (i) छात्र/छात्राओं के दायित्व</p>	<p>सामान्य जानकारी इवित्त करना :-</p> <p>1- प्रिन्ट किये गये नमूना आवेदन पत्र पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर ले तकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सरलता रहे।</p> <p>2- ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कॅरिडल लेटर्स में तथा सख्यात्मक प्रविष्टियाँ भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अंकित की जाती है।</p> <p>3- प्रविष्टियाँ भरने में स्पेशल कैरेक्टर यथा- #, \$, %, ^, &, *, (), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।</p>	<p>व्याप्त</p>
<p>(ii) ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना-</p>	<p>1- प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।</p> <p>2- रजिस्ट्रेशन में मागी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियों वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरने अथवा आवेदन निरस्त हो जायेगा।</p> <p>3- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन रिलय प्रिन्ट करने का विकल्प होगा।</p> <p>4- रजिस्ट्रेशन में भर गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिन्ट निकलने से अपना रजिस्ट्रेशन रिलय प्रिन्ट कर ले।</p>	<p>1-प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।</p> <p>व्याप्त</p> <p>व्याप्त</p> <p>व्याप्त</p> <p>व्याप्त</p>
<p>(iii) ऑनलाइन आवेदन करना-</p>	<p>1- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।</p> <p>2- इसके लिये निर्धारित वेबसाइट</p>	<p>व्याप्त</p> <p>व्याप्त</p> <p>2- इसके लिये निर्धारित वेबसाइट</p>

	<p>http://scholarship.up.nic.in पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमिक एवं पासवर्ड भरें।</p>		<p>https://scholarship.up.gov.in पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमिक एवं पासवर्ड भरें।</p>
	<p>3- इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियां सही होने पर स्क्रीन पर आनलाइन आवेदन का प्रारंभ शुरू जायेगा।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>4- इस प्रारंभ में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनाएं स्वतः प्रदर्शित होंगी जो आवेदक द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थीं। इस प्रारंभ में आवेदक द्वारा परिचित कालम में सूचनाएं सही-सही भरी जाय।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>5- जिस कालम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कालम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>6- छात्र-छात्रा आवेदन फार्म में अपने नाम के बेंक खाते का ही विवरण भरेंगा जो उसके माता-पिता/अभिभावक की संसदकता में बैंक में खोला गया हो। किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता सौंप करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।</p>		<p>6-छात्र-छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में उचित नाम एवं जन्म तिथि के अनुरूप ही आधार कार्ड बनवाया जायेगा व तदनुसार आवेदन फार्म में स्वयं के आधार लिंक बैंक खाते का ही विवरण भरा जायेगा। छात्र/छात्रा के आधार सौंपे बैंक खाते में ही अंतरादि का अंतरण होगा।</p>
	<p>7- इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरान्त Submit बटन पर क्लिक करें। इसके उपरान्त अपने भरे हुए आवेदन का एक प्रिन्ट-आउट निकालें जिसके त्रिभुज स्क्रीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करें। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भली भांति जांच लें यदि समस्त प्रविष्टि सही हैं तो पुनः होम-पेज पर अपने फोटो अपलोड करें पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म-तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमिक दर्शाए करें।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>8- इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर ही स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। इसी वही फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिए तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>9- फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो चेक विकल्प पर क्लिक करें जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।</p>		<p>व्यापक</p>
	<p>10- Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा, अन्यथा फार्म अपूर्ण</p>		<p>व्यापक</p>

	<p>शासनादेश संख्या-101/2021 7/अर-1614/2 6-3-2017-4(368)/07 टीसी-III दिनांक 23 जून, 2017 (षट्पन संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>माना जावेगा एवं स्वतः निरस्त हो जावेगा। 11-छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिक्रिया हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट https://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही भरा जावेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एनओआईटी द्वारा तालक किया जावेगा। एनओआईटी द्वारा डाटा तालक किये जाने के उपरांत किसी भी तरह में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेदछाड़ किये जाने पर आईटीओ एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>	<p>11-वैधानिक भ्रष्टा एवं शुल्क प्रतिक्रिया हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से ही भरा जावेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एनओआईटी द्वारा तालक किया जावेगा। एनओआईटी द्वारा डाटा तालक किये जाने के उपरांत किसी भी तरह में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेदछाड़ किये जाने पर आईटीओ एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>
	<p>(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना</p>	<p>इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये दिशानिर्देश से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वरिष्ठ डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कॉपी जिस पर खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की सप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करके हुये अपने अध्ययनशा संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरांत 07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की जांच/छात्र को प्रदान की जावेगी।</p>	<p>इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये दिशानिर्देश से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वरिष्ठ डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की सप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करके हुये अपने अध्ययनशा संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरांत समग्र-सालिणी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की जांच/छात्र को प्रदान करना आवश्यक है।</p>
	<p>(v) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-</p>	<p>1- संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्रिन्ट रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा जती रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जावेगी।</p>	<p>रखागत</p>
		<p>2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदन अपने जमा किये गये काम की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये 'आवेदन की स्थिति जानें' को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना स्टूडेंट्स संख्या मल्ल होना।</p>	<p>रखागत</p>
	<p>(vi) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-</p>	<p>छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तर पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जावेगी :- 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर। 2- शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर। 3- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर। 4- बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।</p>	<p>छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जावेगी :- 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर। 2- शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित/अनुमोदित/ निरस्त करने पर। 3- फीरिप कार्ड जनरेट होने पर (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु) 4- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डाटा तालक/स्वीकृत/निरस्त करने पर। 5- अक्षर लिंक बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।</p>
	<p>(vii) छात्र/छात्राओं द्वारा अक्षर नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना शासनादेश</p>	<p>प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में सही अक्षर कार्ड नम्बर अंकित करना होगा। फर्जी अक्षर नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जावेगा। यदि फर्जी/गलत अक्षर नम्बर का प्रयोग छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन</p>	<p>प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर अंकित नम्बर एवं जन्म तिथि के अनुसार अक्षर कार्ड बनवाना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र का अक्षर नम्बर से जनसंख्या/व्यक्तिगत एवं अक्षर लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीडीए से आवेदन पूर्ण करने हेतु प्रमाणिकरण आवश्यक होगा।</p>

<p>संख्या-148/2018/2063/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (सदम संशोधन) द्वारा सशोधित</p>	<p>पत्र में अंकित किया जाता है तथा शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को उपरोक्तित किया जाता है। जो इस अनिवारिता के लिए शिक्षण संस्था व छात्र दोनों उत्तरदायी होंगे। इस पत्र में छात्र का अभ्यर्षन/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त कार्य को क्रियान्वयन एवं अक्षर संभार के संचालन हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से अनुबंध किया जाएगा।</p>	
<p>16 (1) शिक्षण संस्थान के दायित्व</p>	<p>(i)- शिक्षण संस्था का छात्रपुति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।</p>	<p>(i)- शिक्षण संस्था का छात्रपुति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। नामित नोडल अधिकारी का डिपिडल हस्ताक्षर उनी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा।</p>
	<p>(ii)- शिक्षण संस्था को जिला सभार कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आर्देडिडि एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर अपडेट करना होगा।</p>	<p>(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर अपडेट करना होगा।</p>
	<p>(iv)- शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में सभ्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट करना होगा।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(v)- संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट की फोटोकॉपी आवश्यक सलमनों के साथ स्वीकार करेगा। संस्था अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(vi)- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट समस्त आवश्यक सलमनों के साथ जमा किया गया है।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(vii)- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट-ग के अनुसार सलमनक नहीं किये गये हैं, संक कर लिये जाय।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(viii)- आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टड उपलब्ध प्राप्त होगा। उनी प्रति रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी सलम की नुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की सप्रमाणित छाया प्रति आवेदक ने प्रस्तुत की हैं, उसे सलमन द्वारा (✓) किया जाएगा।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(ix)- शिक्षण संस्था को अभ्यर्षी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट पर स्कैन फोटो को सलमपित करना होगा।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(x)- संस्थान आनलाइन अभिलेखों के प्रति को परभाषा छात्र/छात्रा के आनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेगे।</p>	<p>व्यथावत</p>
	<p>(xi)- अभ्यर्षी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 कार्य-दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट जमा किया</p>	<p>(xi)- अभ्यर्षी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 कार्य-दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट जमा किया जाएगा।</p>

		जायेगा।	
		(xii)- ऑनलाइन आवेदन पत्र भ्रमे के लिये शासन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद 07 कार्य-दिवस के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात 07 कार्य-दिवस के अन्दर ही प्रत्येक दश में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।	(xii)- ऑनलाइन आवेदन पत्र भ्रमे के लिये शासन द्वारा जारी समय-तालिका में निर्धारित समाप्तोत्ती के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा एवं शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त, सत्यापित एवं अग्रसरित करना होगा।
		(xiii)- ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं सलगनको के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रहने। किसी भी दश में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इंतजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।	(xiii)- ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं सलगनको के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रहने। किसी भी दश में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इंतजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।
		(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ सलगन बैंक पासबुक की छाया प्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा-नाम, खाता संख्या व आईएफएस कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।	(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ सलगन सभी विवरण का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
		(xv)- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही किये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसरित (Forward) कर देंगे।	(xv)- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही किये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसरित (Forward) कर देंगे।
		(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा अतिपूर्ण/अपूर्ण/रकल होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के तालिम का उपलब्ध संपूर्ण डाटा पर निर्भर लेकर अग्रसरित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दश में संस्थान द्वारा डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।	(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा अतिपूर्ण/अपूर्ण/रकल तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अपत्र होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अग्रसरित नहीं किया जायेगा, संस्था उसको अपने स्तर से reject कर देगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के तालिम पर उपलब्ध संपूर्ण डाटा पर निर्भर लेकर अग्रसरित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दश में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
		(xvii)- संस्थान द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।	व्यवगत
		(xviii)- संस्थान का यह दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्थान यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिये गये हों।	व्यवगत
		(xix)- सभी छात्रों को योजना के प्रावधानों एवं शासन द्वारा फार्म भ्रमे हेतु निषेध की गयी अंतिम तिथि की जागरूकी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आदि के माध्यम	व्यवगत

	से अद्यतन करायेगा।		
	(xx) -आटा के सत्यापन हेतु अनिश्चित संचय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसविषये संस्थान पर प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सत्यापन करते रहेंगे एवं समस्त आवेदन पत्रों को अनिश्चित तिथि से पूर्व अप्रसारित करने अथवा रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर आनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।		व्यापक
	(xxi) - छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आपसवकता पडने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।		व्यापक
	(xxii) - नॉटबल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र के विवरण को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अप्रसारित किया जायेगा।		व्यापक
	(xxiii) - जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलावट संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।		व्यापक
	(xxiv) - शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की त्रुटिकामी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र के फिन्ट-आउट समस्त सलानको सहित (एडमिशन-ड) के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को नियोजित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।		व्यापक
	(xxv) - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई तलक द्वारा विकसित Search students Detail से छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमिक के अन्तार पर सत्यापन हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये विकल्प से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के उपरान्त सही पावे नये छात्र का ही डाटा संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अप्रसारित किया जायेगा।		व्यापक
	(xxvi) - शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थनरत छात्र अपने वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरे एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म सत्यापित एवं अप्रसारित करेगा। नवे छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बार में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, जो छात्रकरो के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।		व्यापक
	(xxvii) - कई वर्षों की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में फेली कर आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।		व्यापक

		(xxviii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कूल/संस्थान पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित किया जायेगा तथा छात्र परीक्षा में असफल हुए या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया अदि।	व्यापक
शासनादेश संख्या-222/2019 /4138/28-3-2 019-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (नवन संशोधन) द्वारा संशोधित		(xxix)- संस्था द्वारा छात्र के अक्षर नम्बर एवं 15 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन अपसारीत किया जायेगा।	संस्था द्वारा छात्र के 15 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंको/उत्तीर्ण/प्रोन्स होने का अनिवार्य रूप से अंकन/सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र ऑनलाइन अपसारीत किया जायेगा। मौखिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की शैक्षणिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड भी करना होगा।
जिला स्तर पर सहायक अधिकारी के दायित्व		(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अपेक्षितों के आवेदन पत्र की हार्दिकापी समस्त सलसन्को सहित प्राप्त करना।	(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये मास्टर डाटा से सम्बन्धित अनिश्चित छात्रों की सूची, छात्रों के आवेदन पत्र की हार्दिकापी एवं समस्त सलसन्को को पी0डी0एफ0 फाइल की साफ्ट कॉपी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर फरवरी/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
		(ii)- यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।	व्यापक
		(iii)- शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली साक कर दिया गया है।	(iii)- शिक्षण संस्थानों/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली साक कर दिया गया है।
		(iv)- अपेक्षितों के आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से लेखम आधार पर स्वैकृति से पूर्ण करना/कराना।	व्यापक
		(v)- अपेक्षितों के नाम के बैंक खाते एवं बैंक साक्ष्यों के आईएफएस कोड (IFSC) का लेखमली मिलान ऑनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्ण करना।	व्यापक
		(vi)- अपेक्षितों के आवेदन पत्र की हार्दिकापी आवेदनपत्र पढ़ने पर सलसन्को सहित छात्रवृत्ति स्वैकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।	व्यापक
		(vii)- सलसन्को से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अपेक्षितों के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन सत्यापित एवं साक करना।	व्यापक
		(viii)- ऑनलाइन डाटा वॉरिंग की मनीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों के सहायक अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अप्रसारण नहीं हुआ हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्दिकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्रधान/ प्रधानाचार्य को बैंक में प्रमाणित निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवेदनपत्र स्वैकृति पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।	व्यापक
		(ix)- छात्रवृत्ति स्वैकृति समिति की बैठक	व्यापक

		आवश्यकतानुसार अंशुत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उल्लेखित जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होना।		
	शासनादेश संख्या-101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(358)/07 टीसी0-III दिनांक 23 जून 2017 (88म संशोधन) द्वारा संशोधित	(X)- बैंक खाते में धनराशि के अन्तर्गत का reconciliation कराना। यह कार्य वसी विरहित धन में जिला निजक/सम्परीक्षाधिकारी/अहम वितरण अधिकारी, मुख्यश्रेण्य द्वारा पूर्ण किया जाएगा।		व्ययगत
		(xi)- जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुभवगत व परीक्षण हेतु उचित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित करना।		व्ययगत
		(xii)- राजा समिति की बैठक का कार्यवृत्त केजने का उल्लेखित जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		व्ययगत
	शासनादेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07 टीसी0-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xiii)- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिप्टीटल सिन्धेवर से संपुक्त रूप से मास्टर डटा एण अन्य डटा को जाक करने अदि की कार्यवाही की जायेगी।		व्ययगत
16	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) आनलाइन डटा अपडेशन की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्रचार्य/प्रधानचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समायोजित सुनिश्चित कराना। शसन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की सतुति करना।	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	व्ययगत
		(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्ट डटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, कैता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके साक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या अदि का सत्यापन उन डिप्टीटली सिन्धेवर से जाक किया जाता।		(ii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्ट डटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, कैता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके साक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या अदि का सत्यापन कर डिप्टीटली सिन्धेवर से जाक किया जाता।
		(iii) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापनप्रदान शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकपी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।		(iii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापनप्रदान शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकपी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
		(iv) शिक्षण संस्था द्वारा विविध छात्रों के संबंध में आनलाइन उचित किन्हे मदे कारणा के अक्षर पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की वेबसाइट जाक करमा तथे अनिश्चितता पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु निवमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।		व्ययगत

	<p>शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष का वर्णित</p>		<p>1- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा शिक्षण संस्थाओं के मास्टर ड्राफ्ट, फीस, सीट आदि लॉक/सत्यापन के उपरत पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षण/सत्यापन के उपरत डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने हुए संस्तुत किया जायेगा। संस्तुति के उपरत ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। 2- मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शासकीय एवं शासकीय सहयता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की निष्पक्ष बोर्डों प्रदेश के अन्दर न होकर स्वयं स्वायत्तशासी सम्मान हैं, उनमें अपना मास्टर ड्राफ्ट, फीस, सीट आदि स्वयं सत्यापित/लॉक करने के उपरत शिक्षा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित/लॉक किया जायेगा। 3- भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डा. राजनरत्न मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से साक्षात् एवं विभागाध्यक्ष दिव्यांगजन सहायताकरण विभाग से संस्तुत प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।</p>
	<p>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वर्णित</p>	<p>(i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार करना।</p>	<p>अवगत</p>
	<p>शासनादेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2 019-4(358)/07 टी०सी०-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>(ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगकर्ता समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लॉगिन के माध्यम से संस्थाओं के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करने हेतु सूचिका प्रदान करना।</p>	<p>अवगत</p>
		<p>(iii) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करावेंगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करावेंगे।</p>	<p>(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य प्रकॉर्ड, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करावेंगे।</p>
		<p>(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जन्मदीय शिक्षा अधिकारियों को लॉगिन आईडी, पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर एनआईडी का अथवा अधिकृत संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना।</p>	<p>अवगत</p>
		<p>(v) आवेदन की अंतिम तिथि सम्पन्न होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु आई प्रार्थों के संपर्क विहित धारों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित करना।</p>	<p>अवगत</p>
		<p>(vi) राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।</p>	<p>(vi) राज्य स्तर पर कार्य जारी आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व वर्ष परीक्षाफल आदि के लाइव चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।</p>
		<p>(vii) आनलाइन आवेदन भेजने से लेकर पत्ररहित अन्तरण तक में जाने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।</p>	<p>अवगत</p>
			<p>(viii) पीएफएमएस के आधार लिंक बैंक खातों तथा अन्य बैंक खातों का सत्यापन आदि की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण करना।</p>
<p>विश्वविद्यालय/परीक्षा निष्पक्ष प्रक्रिया के अन्तर्गत</p>	<p>(i) सभी विश्वविद्यालयों के कुल रक्षिक वार्षिक/त्रैमासिक एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु बोर्डल अधिकारियों नामित करेंगे।</p>	<p>(ii) बोर्डल अधिकारियों सम्बन्धित अधिकृत संस्था से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे।</p>	<p>(i) सभी विश्वविद्यालयों के कुल रक्षिक वार्षिक/त्रैमासिक वार्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारियों नामित करेंगे।</p>
			<p>अवगत</p>

		(iii) नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से साइबर डाटा में सत्यापन से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लॉक करेंगे।		प्रभावित
		(iv) सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्रधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को XML Format पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।		बधाया
		(v) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/ परीक्षा प्रधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक भी किया जायेगा।		बधाया
		(vi) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्रधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्रश्नपत्र का मिलान स्कूटनी के समस्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।		प्रभावित
		(vii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।		बधाया
		(viii) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थापित पाठ्यक्रम कोर्स का प्रकार (निर्धारित/स्वयं चयनित), स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक नुस्खे नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।		प्रभावित
		(ix) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल सीट में स्कूटनी आदि के सम्य उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करावेंगे।		प्रभावित
		(x) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/ मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।		प्रभावित
17	जनपद स्तर पर अनुभवग।	(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुभवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् अभिति गठित की जाती है- (1) कित्तिकाट्टी- अध्यक्ष (2) मुख्य विकास अधिकारी- उपअध्यक्ष (3) क्षेत्रीय राज्य शिक्षा अधिकारी-सदस्य (4) जनपद में स्थित 10 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि यदि कोई हो-सदस्य (5) जनपद में स्थित 10 मंडिकत कालेज के प्राचार्य यदि कोई हो-सदस्य (6) जनपद में स्थित 10 इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य यदि कोई हो- सदस्य (7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पलीटेक्निक के प्राचार्य यदि कोई हो-सदस्य	जनपद स्तर पर अनुभवण।	बधाया

		<p>(8) जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य (9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)- सदस्य (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य/सचिव</p>		
		<p>(ii) उक्त समिति अनुसूचित भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के माहट्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सलाहपत्र करायेंगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कॉलेज में दुबारा नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रवेशक एवं में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सलाहपत्र करेंगी। अवकाश की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जाएगी तथा कूट कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जाएगी।</p>		व्याप्त
		<p>(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शा-शक्तित्व सलाहपत्र करायेंगी - 1- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के साक्ष्य किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी संघ की संस्थाएं। 2- जिन निजी संघ की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माम एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। 3- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से निम्न अवसर पर अथवा शिक्कावर्त प्राप्त होने पर किसी भी वैशेषिक संस्था की जांच प्रथम सलाहपत्र करा सकेंगी।</p>		व्याप्त
		<p>(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रकृति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एनओ/आइओसी के माध्यम से अन्तर्गत प्रदर्शित की जाएगी तथा छात्र के संबद्ध नम्बर पर एमओ/एमओ द्वारा सूचित किया जावेगा। सूचना प्रति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र जिलाधिकारी को अपील कर सकेंगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सरकार लिखित आदेश बतित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा बतित आदेश अन्तिम होगा। बतित आदेश के अन्तर्गत उन्हें अभ्यर्थियों को अवकाश से विवेक आवश्यक शुल्क स्वयं खन करना होगा।</p>	<p>(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रकृति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एनओ/आइओसी के माध्यम से अन्तर्गत प्रदर्शित की जाएगी तथा छात्र के संबद्ध नम्बर पर एमओ/एमओ द्वारा सूचित किया जावेगा। सूचना प्रति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र जिलाधिकारी को अपील कर सकेंगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सरकार लिखित आदेश बतित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा बतित आदेश अन्तिम होगा। बतित आदेश के अन्तर्गत उन्हें अभ्यर्थियों को अवकाश से विवेक आवश्यक शुल्क स्वयं खन करना होगा।</p>	
		<p>(v) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रकृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तर्गत उपरोक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रोफेसरनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत क्रम से कम 65 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का शीतक सलाहपत्र/जांच सुनिश्चित करायी जाएगी। छात्र/छात्राओं के स्थानांतरण</p>		व्याप्त

	<p>हेतु राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्थान प्रगाली साफ्टवेयर में आसक्तक किकल्प उपलब्ध करवा जायेगा जिसके माध्यम से जाब हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का नैतिक सवापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर निवन्धवती के नियम-15 (II) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।</p>	
	<p>(vi) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यार्थवर्षान सूचित माग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पत्रिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी अनुक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विक्षण देखाइएट पर जम्माड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा अडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।</p>	<p>(vi) रैकमिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयद्वारा सूचित मान एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पत्रिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी रैकमिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण देखाइएट पर जम्माड कराने तथा विभागीय/ महालेखाकार द्वारा अडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।</p>
<p>18 प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रक्रिया।</p> <p align="center">शासनादेश संख्या-101/2017/आए-1514/26-3-2017-4(358)/07 टीपीसी-III दिनांक 23 जून, 2017 (षटम संशोधन) द्वारा संशोधित</p>	<p>अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सदृशता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा-</p> <p>(i) (1)- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनतइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।</p> <p>(2)- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से जम्माडन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनतइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनतइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट 'घ' के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'घ' के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।</p> <p>(3)- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनतइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनतइन सत्यापित एवं उपसर्गित किया जायेगा तथा आनतइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कपी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये परिशिष्ट 'ज' के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के त्वारी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(4)- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनतइन संस्तुत एवं उपसर्गित डाटा को निर्देशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन्डआईपीसी (स्टेट युनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यूपीसीटीए, एआईसीटीआई, यूजीसी, एएलसीटीआई, एएसीआई, विरजिवालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बेंडें आफ टैलिनकल एजुकेशन एवं बेंडें आफ रेवेन्डु अडि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से निदान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आप्त में निरूप कर यूसीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण करके हुए एवं संवेधान्त डाटा फूडक-फूडक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्गम्य वित्त समाज कल्याण अधिकारी के लालिन पर उपलब्ध होगा।</p> <p>5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के</p>	<p>अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा-</p> <p>(1) (1)- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनतइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।</p> <p>(2)- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से जम्माडन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनतइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनतइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट 'घ' के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'घ' के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।</p> <p>(3)- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनतइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनतइन सत्यापित एवं उपसर्गित किया जायेगा तथा आनतइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कपी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये परिशिष्ट 'ज' के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के त्वारी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(4)- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनतइन संस्तुत एवं उपसर्गित डाटा को निर्देशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन्डआईपीसी (स्टेट युनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यूपीसीटीए, एआईसीटीआई, यूजीसी, एएलसीटीआई, एएसीआई, विरजिवालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बेंडें आफ टैलिनकल एजुकेशन एवं बेंडें आफ रेवेन्डु अडि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से निदान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आप्त में निरूप कर यूसीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण करके हुए एवं संवेधान्त डाटा फूडक-फूडक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्गम्य वित्त समाज कल्याण अधिकारी के लालिन पर उपलब्ध होगा।</p> <p>5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के</p>

	<p>के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>(4)- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अवसारीत डाटा को निदेशक समाज कल्याण उतात इंदौरा द्वारा एनआईसी (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियंत्रक संस्थाओं/ विभागों यथा-यूपीसीसी, एनआईसीसी, यूपीसीसी, एनसीसी, एमसीसी, विद्यविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड अफ टेक्निकल एजुकेशन एवं बोर्ड अफ लेन्गु आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को अक्स में निरूप कर दुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा फूक-पूथक छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्गम्य जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिण पर उपलब्ध डोंगा।</p> <p>5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार ब्रह्म प्रत्येक छात्र/ छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कॉपी से अवश्यक मिलान अपने स्तर से स्पष्टकरी करावेगी।</p> <p>6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं तोक किया जाएगा।</p> <p>7- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं तोक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एनआईसी (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जाएगी, जो निदेशालय के लागिण पर उपलब्ध हो जाएगी।</p> <p>8- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिण पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकॉपी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।</p> <p>9- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के विल नियंत्रक द्वारा</p>	<p>समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कॉपी से अवश्यक मिलान अपने स्तर से स्पष्टकरी करावेगी।</p> <p>6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं तोक किया जाएगा।</p> <p>7- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं तोक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एनआईसी (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जाएगी, जो निदेशालय के लागिण पर उपलब्ध हो जाएगी।</p> <p>8- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिण पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकॉपी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।</p> <p>9- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के विल नियंत्रक द्वारा कांभार/बैंक से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेंट बजट बैंक खाते में सीधे अन्वहित की जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व विल नियंत्रक, नोडल अधिकारी (रसमोक्षर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।</p> <p>10- छात्र/छात्राओं के बजट बैंक खाते में धनराशि अन्तरग में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जाएगा।</p> <p>11- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विवरण हेतु धन की प्रक्रिया, वीवता इन निर्देश, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरग की प्रक्रिया, फंड ट्रांजैक्शन एवं अधिविस्तृत धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के निषेध व प्रक्रिया जदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित निषेध व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।</p>
--	--	--

		<p>राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तर्लिखित की जायेगी, जिसका उल्लेखविलेख विल नियंत्रक, नोडल अधिकारी (प्रशासनात्मक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा।</p> <p>10- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में अनजारी अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा।</p> <p>11- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नए छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चरण की प्रक्रिया परीक्षा केन निर्धारण PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रांज़ैक्शन एवं अस्थिरित धनराशि के निर्यात हेतु में उपाय करने के निम्न व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित निम्न व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेंगी।</p>		
		<p>(iii) प्रदेश के बाहर स्थित साधना, उनमें स्थगित पाठ्यक्रम तथा छात्रवृत्ति हेतु पाठ छात्रों का जलम विवरण तैयार किया जायेगा। अनुसंधान भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अनुरोधन संस्तुत एवं तालक किये गये विवरण तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (v) में उर्गीत व्यवधानुसार 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।</p>		<p>(ii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पाठ छात्रों का जलम विवरण तैयार किया जायेगा। सैद्धांतिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अनुरोधन संस्तुत एवं तालक किये गये विवरण तथा सैद्धांतिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (v) में उर्गीत व्यवधानुसार उनके द्वारा 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।</p>
19	संशोधन का अधिकार	<p>(i) इस नियमावली के प्रावधानों में सहायक संशोधन करने एवं किताबी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति मध्य मुख्यालय की में निहित होगी।</p>		अभाव
20	न्यायालय परीक्षेत्र	<p>किताबी कठिनाई की स्थिति में न्यायालय परीक्षेत्र मध्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।</p>		अभाव
20 (i)	शासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1814/26 -3-2017-4(358) /07 टी0सी-III दिनांक 23 जून 2017 (षष्ठम संशोधन) द्वारा संशोधित	<p>नियम-20 (i) (क) मध्य उच्चतम/उच्च न्यायालय/मध्य राज्यपाल/मध्य मुख्यमंत्री/ मध्य मंत्री समाज कल्याण/मुख्य सचिव/ मध्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऐसे इकरणों पर शासन स्तर पर विचार हेतु निर्धारित समिति गठित की जाती है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण-अध्यक्ष 2- प्रमुख सचिव, जिला उधवा नामित प्रतिनिधि- सदस्य 3- निदेशक, समाज कल्याण उधवा- सदस्य 4- निदेशात्मक द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य/सचिव। 5- छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल (मुख्यालय)- 		विलोपित

		सदस्य नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रकरण पर उक्त स्थिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति व हुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न देने के संबंध में तत्कारण लिखित आदेश पत्रित करेगी। धनराशि भुगतान किये जाने हेतु तिथि गदे निर्णय के उपरान्त 90 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा चातु वितीय वर्ष के बजट से धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान की जावेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।	
20 (ii)	शासनादेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (संयम संशोधन) द्वारा संशोधित	20- (ii) (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु छात्रवृत्ति अधिकारी नोटस मुख्यालय को स्टेट प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है।	20- (ii) (क) निदेशालय समाज कल्याण/ राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यप्रत्यक्ष (समुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय प्रेवन्स रिट्रेसल आफीसर नामित किया जाता है।

2- उक्त संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली वर्ष 2021-22 से लागू होगी।


(कै० रविन्द्रे नायक)
प्रमुख सचिव

पू0सं0- 108 /2021/2499 (1)/26-3-2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0 शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।


21/09/21
21/9/2021

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07टी0सी0-III

लखनऊ: दिनांक:- 14 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी.-II, दिनांक-14.04.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016" पर सम्यक्विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (नवम संशोधन)-2019 निम्नवत् किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
6-(I) (ब) ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर विवरण आनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।	विलोपित
	6-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p>
	<p>6-(xxii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोट एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) /छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>16(1)(xxix)-शिक्षण संस्थान के दायित्व- संस्था द्वारा छात्र के आधार नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।</p>
	<p>16 (1)(xiii)-जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ- साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।</p>
<p><u>16(1)(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व</u> शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराना।</p>	<p>16 (1) (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।</p>
<p>16 (1)(iii)जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेगें।</p>	<p>विलोपित</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त संशोधन वर्ष 2020-21 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 एवं तदोपरांत अन्य संशोधित नियमावली/शासनादेश के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

सुधा श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पृ0सं0-222/2019/4138(1)26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्चशिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।